542
574

बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020

संचालन संबंधी दिशा–निर्देश

बिहार बागवानी विकास
सोसाईटी
बिहार सरकार

573

अनुक्रमणिका

1.	परिचय	1
2.	नीति का विजन	1
3.	उद्देश्य	1
4.	बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 की प्रमुख विशेषताएं	2
5.	कवरेज और स्कोप	2
6.	बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत प्रोत्साहन	4
7.	संस्थागत समर्थन	10
8.	निवेशक(ओं)/ आवेदकों और पात्रता	11
9.	पात्रता	11
10.	नीति कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण	12
11.	आवेदन की प्रक्रिया	15
12.	प्रस्तावों की जाँच और पूंजीगत अनुदान का वितरण	15
13.	पूंजीगत अनुदान भुगतान की समय सीमा	22
14.	परियोजना कार्यान्वयन के लिए समय अनुसूची	25
15.	अनुसूची	26

548
572

1. परिचय

बिहार देश के महत्वपूर्ण कृषि प्रधान राज्यों में से एक है जिसमें लगभग 80% आबादी कृषि में लगी हुई है (राष्ट्रीय औसत से अधिक)। खाद्यान्नों, दालों, फलों और सब्जियों के प्रमुख उत्पादक होने के नाते, राज्य में कृषि क्षेत्र 13.8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जिससे जीएसडीपी (GSDP) का 19.26 प्रतिशत योगदान है। यह भारत में सब्जियों और फलों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, जिसमें कई जीआई (GI) टैग वाली फसलें शामिल हैं। हालांकि राज्य में बहुत ही न्यूनतम, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण किया जा रहा है।

राज्य में **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (BIIPP 2016)** है, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उच्च – प्राथमिकता वाले क्षेत्र एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। बिहार सरकार इस क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके राज्य में कृषि व्यवसाय की दिशा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

विभिन्न फसलों के अधिशेष उत्पादन और प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, अपव्यय को कम करने, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने की क्षमता पर पूंजीकरण की राजकीय क्षमता का आकलन करते हुए, राज्य सरकार ने बीआईआईपीपी 2016 के प्रावधानों को पुनरिक्षित करने की आवश्यकता महसूस की है ताकि बिहार में कृषक उत्पादक कंपनियों (FPCs) सहित कृषि व्यवसाय के निवेशकों के लिए प्रोत्साहन को अधिक आकर्षक बनाया जा सके। इस संदर्भ में, बिहार सरकार ने बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति (BA-IPP) 2020 शुरू करने का निर्णय लिया है।

बीए–आईपीपी 2020 का उद्देश्य उपज के बेहतर प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना और कृषि व्यवसाय स्थापित करने के लिए राज्य में सक्षम वातावरण बनाना है। यह निति कृषि व्यवसाय के क्षेत्र अतिरिक्त वित्तीय सहायता के माध्यम से संभावित निवेशकों के रूप में एफपीसी (FPC) को बढ़ावा देती है।

ये दिशा–निर्देश बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के अनुसार तैयार किए गए हैं ताकि उक्त नीति के कार्यान्वयन और निगरानी पर विस्तार और स्पष्टता आ सके।

2. नीति का विजन

"बिहार में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने और उसी के लिए पर्यावरण को सक्षम बनाने के लिए, प्रसंस्करण, भंडारण, अपशिष्ट में कमी, मूल्यवर्धन और निर्यात संवर्धन के स्तर को बढ़ाना जिससे किसानों को अधिक आय प्राप्त हो और रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो "

3. उद्देश्य

नीति का उद्देश्य राज्य में कृषि व्यवसाय के समग्र विकास और विकास के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिसका लक्ष्य किसानों की उपज के लिए लाभकारी प्रतिफल प्रदान करना है::–

3.1. वित्तीय सहायता और एक सक्षम वातावरण के माध्यम से बिहार में कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना ।

3.2. प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने, अपव्यय को कम करने, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास ।

3.3. कृषि के चिन्हित क्षेत्रों में नई कृषि–प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के साथ–साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन और राज्य में मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3.4. उपज के बेहतर प्रसंस्करण के माध्यम से लाभकारी प्रतिफल के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए ।

3.5. कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।

4. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 की प्रमुख विशेषताएं

4.1. वर्तमान नीति के तहत नीतिगत प्रावधान बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अलावा निवेशकों के लिए उपलब्ध होंगे, लेकिन कोई अतिव्यापी समर्थन नहीं प्राप्त होगा, अर्थात् निवेशक दोनों नीतियों के तहत समान प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

4.2. यह नीति बिहार राज्य में कृषि के चिन्हित क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/ आधुनिकीकरण/ विविधीकरण/ विस्तार के लिए पात्र व्यक्तिगत निवेशकों/ उद्यमियों या पंजीकृत किसान–आधारित कंपनियों को पूंजी अनुदान प्रदान करेगी। निवेशक/ उद्यमी अपनी इकाइयों को प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), किसान निर्माता कंपनी (FPC) सहित कंपनी के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

4.3. उक्त नीति के तहत पूंजीगत अनुदान को पहचान किए गए क्षेत्रों में मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार/ आधुनिकीकरण के लिए तभी अनुमति दी जाती है, जब उक्त परियोजना की मौजूदा क्षमता को ऐसे आधुनिकीकरण या विस्तार या विविधीकरण के माध्यम से कम से कम 25 प्रतिशत बढ़ाया जाता है (विस्तार और आधुनिकीकरण की परिभाषा बीआईआईपीपी 2016 के समान)।

4.4. कैपिटल सब्सिडी समर्थन पूरी तरह से क्रेडिट से जुड़ा होगा।

4.5. न्यूनतम 0.25 करोड़ रु० और अधिकतम 5 करोड़ रु० की अनुमोदित परियोजना लागत वाली परियोजनाएँ इस नीति के तहत लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

4.6. बिहार बागवानी विकास सोसाइटी (BHDS), कृषि विभाग, बिहार सरकार राज्य में बीआईआईपीपी 2020 के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगी।

5. कवरेज और स्कोप

यह नीति पूरे राज्य में लागू होगी और कृषि उपज के मामले में देश भर में बिहार की अग्रणी स्थिति को देखते हुए, नीति वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सात कृषि व्यवसाय क्षेत्रों की पहचान करती है:–

क्र०	सेक्टर*	सूचक प्रसंस्करण उद्योग**
1	मखाना	प्रोसेस्ड मखाना, मखाना पाउडर, खाने के लिए तैयार मखाना (अलग–अलग स्वाद), मिष्ठान्न, ब्रेकफास्ट मिक्स, चिप्स, खीर मिक्स इत्यादि ।
2	फल और सब्जियां	• लीची (पल्प, रस, जैम, जैली, पल्प स्लैब, आदि); • अमरूद (रस, पेय, जाम, जेली, आयुर्वेदिक दवाएं आदि); • केला (पल्प, बेबी फूड, केला फाइबर, पैकिंग सामग्री, केले के फूल की सब्जियाँ (खाने के लिए तैयार), केले की ट्रंक सब्जियाँ और अचार); • आलू (आलू के चिप्स, पाउडर, दानेदार); • मसाले – क्रायो पीस (सभी औषधीय और पाक मसाले); • टमाटर (टमाटर का पेस्ट, प्यूरी, निर्जलित, आदि);

		• मशरूम (कैनिंग, सुखाने, आदि); • इमली (पेस्ट, डे–सीड, आदि); • फल और सब्जियां ताजा/ संसाधित (जमे हुए, गूदा, धोया, कटा हुआ, सूखा, डिब्बाबंद, डिब्बाबंद फल और सब्जियां) • अचार इकाई (मिश्रित अचार, आम, नींबू, मिर्च अचार, आदि)
3	शहद	शहद का सेवन करने के लिए प्रसंस्कृत शहद, औद्योगिक उपयोग के लिए शहद (दवा, खाद्य प्रसंस्करण, सौंदर्य प्रसाधन, आदि), मधुमक्खी जहर, शाही जेली, मधुमक्खी–मोम, प्रोपोलिस, पराग
4	औषधीय और सुगंधित पौधे	औषधीय और सुगंधित पौधे आधारित उत्पाद
5	मक्का	मवेशी चारा, मछली फीड, पोल्ट्री फीड, मकई के गुच्छे, मकई के दाने / मकई सूजी, मकई स्टार्च, भंडारण के बाद फसल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे
6	चाय	आधुनिक चाय प्रसंस्करण इकाइयां, टीबैग, ढीली चाय, संपीड़ित चाय, इंस्टेंट चाय, बोतलबंद और डिब्बाबंद चाय, औद्योगिक उपयोग के लिए प्रसंस्कृत चाय (सौंदर्य प्रसाधन, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, आदि)
7	बीज	बीज प्रसंस्करण इकाइयाँ (अनाज, दालें, फल, सब्जियाँ, आदि)

नोटः

* बिहार सरकार आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर नीति के तहत पहचाने गए क्षेत्रों को संशोधित कर सकती है और जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है उन्हें बीआईआईपी में भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

** सूची सांकेतिक है और उपर्युक्त 7 क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी उत्पादों को नीति के तहत शामिल किया जाएगा।

क) अन्य राज्यों या देशों से आयातित खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग/ पुन पैकेजिंग के उद्देश्य से स्थापित इकाइयाँ/ उद्यम इस नीति के तहत योग्य नहीं माने जाएंगे (जैसा कि BIIPP 2016 में उल्लेख किया गया है)।

ख) यदि एक इकाई/उद्यम एकीकृत तरीके से/के लिए दो या अधिक प्रकार की सुविधाएं स्थापित कर रहा है तो सुविधाओं को एक एकल परियोजना के रूप में माना जाएगा और अनुदान गणना के प्रयोजनों के लिए सुविधाओं की संयुक्त लागत पर विचार किया जाएगा। इस नीति के तहत योग्य इकाइयों में इकाइयों/उद्यमों का वर्गीकरण मुख्य/मातृ सुविधा की प्रकृति के अनुसार होगा, अर्थात् मूल सुविधा (बीआईआईपीपी 2016 में उल्लिखित)।

ग) मानव/पशु उपभोग के लिए उपयुक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण के लिए इकाइयाँ जिसमें मक्का, फल और सब्जियाँ या कोई भी प्रसंस्कृत/संरक्षित वस्तुएँ (जैसे गूदा ध्यान, अर्क) नहीं होती हैं, इस नीति के तहत लाभ पाने के लिए योग्य नहीं होगा क्योंकि इसका मुख्य घटक मक्का/फलों और सब्जियों से नहीं बनी होती हैं (जैसा कि बीआईआईपीपी 2016 में उल्लेख किया गया है)।

घ) मक्का क्षेत्र में पशु चारा और मछली फीड इकाइयों/ उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ङ) मखाना उत्पादक जिलों में समर्पित सहायक इकाइयां (पैकेजिंग, लेमिनेट्स आदि) बीआईआईपीपी –2016 से लक्षित समर्थन के साथ पदोन्नत की जाएंगी।

च) मुख्य कृषि व्यवसाय सुविधा के उप–उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए स्थापित इकाई बीआईआईपीपी 2016 (गैर–प्राथमिकता क्षेत्र के तहत) के तहत केवल अनुदान के लिए विचार किया जाएगा, यदि उप–उत्पाद के प्रसंस्करण से उत्पन्न अंतिम उत्पाद एक नहीं है (ऊपर परिभाषित किसी भी

अपवाद के साथ)। यदि अंतिम उत्पाद मानव/पशुओं की खपत के लिए उपयुक्त है, त अनुमत क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा (जैसा कि बीआईआईपीपी 2016 में उल्लेख कि गया है)।

छ) यदि कोई मौजूदा इकाई गैर–कृषि आधारित क्षेत्र से कृषि–आधारित क्षेत्र की ओर पलायन करती है, जैसा कि धारा 5 में पहचाना जाता है, तो क्षमता विस्तार और/या सुविधा के अलावा और/या विविधीकरण आदि के माध्यम से, यह नीति प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा।

6. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत प्रोत्साहन

नीति राज्य में कृषि व्यवसाय क्षेत्र/ संबंधित इकाइयों में निवेश की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए पूंजी अनुदान की आवश्यकता को चिह्नित करता है।

6.1 मार्गदर्शक सिद्धांत

6.1.1 ये प्रावधान/ सिद्धांत इस नीति के तहत सभी पात्र परियोजनाओं/ इकाइयों पर लागू होंगे।

6.1.2 यह नीति अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। उक्त तिथि को बीएआईपीपी 2020 की प्रभावी तिथि माना जाएगा, जहां से इसके प्रावधान लागू होंगे और यह 31 मार्च 2025 तक लागू होगी। नीति के तहत योग्य इकाइयां पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद, अधिकतम 2 वर्ष यानी 31 मार्च 2025 तक की पूंजीगत अनुदान का लाभ उठा सकती हैं।

6.1.3 सात पहचाने गए कृषि व्यवसाय क्षेत्रों (खंड 5 में) के तहत आने वाली इकाइयों को पूंजीगत सहायता बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 के तहत पात्र लाभ की व्यापक श्रेणी के अतिरिक्त होगी।

6.1.4 केवल उन परियोजनाओं को जो SIPB (स्टेट इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) चरण – I अनुमोदन प्राप्त है, को बीएआईपीपी के तहत पूंजी अनुदान सहायता के लिए उनके प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे। ऐसे निवेशक इस उद्देश्य के लिए विकसित

ऑनलाइन पोर्टल पर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन करेंगे। बीएआईपीपी नीति के तहत पहचाने गए क्षेत्रों के लिए SIPB के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए निवेशक तकनीकी साहयता समूह (TSG) से संपर्क कर सकते हैं।

6.1.5 इस नीति के तहत कोई भी निवेशक 31 मार्च 2025 के उपरांत पूंजीगत अनुदान का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगे।

6.1.6 मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर पहले आओ पहले पाओ के अनुसार विचार किया जाएगा।

6.1.7 इस नीति के तहत लाभ के लिए आवेदन करने वाले निवेशक को इकाई के लिए ऋण विस्तार हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रदान करनी होगी, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक या आरबीआई/सेबी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ होगी । बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट प्रोत्साहन की गणना के लिए परियोजना लागत का पता लगाने के लिए आधार बनाएगी।

6.1.8 इस नीति के तहत पूंजी सब्सिडी की गणना के उद्देश्य से, अनुमोदित परियोजना लागत का अर्थ परियोजना लागत धारा 6.2 में परिभाषित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत से होगा। अनुमोदित परियोजना लागत संवितरण राशि के निर्धारण का आधार होगी।

6.1.9 इस नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी गणना के लिए अनुमोदित परियोजना लागत में, भूमि की लागत को छोड़कर, कुल परियोजना लागत की 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगी। जबकि इस तरह की भूमि विकास लागत को छोड़कर कुल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत भूमि विकास लागत के लिए निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार, अनुमोदित परियोजना लागत में या तो बैंक/ वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित भूमि की वास्तविक लागत या भूमि को छोड़कर कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, पर विचार किया जाएगा। इस नीति के तहत सभी निवेशों की जांच के लिए इस सिद्धांत का पालन किया जाएगा।

6.1.10 इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत सब्सिडी को ऋण से जोड़ा जाएगा और दो किस्तों में बैंक/एफआई द्वारा निवेशक को सावधि ऋण प्रदान करते हुए जारी किया जाएगा (पी एंड एम की स्थापना के बाद – पहली किस्त, और वाणिज्यिक उत्पादन/ संचालन के शुरू होने पर – दूसरी किस्त) । इस पॉलिसी के तहत जारी सब्सिडी ऋण के मूलधन घटक की ओर ऋण खाते में जाएगी।

6.1.11 अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जाति), अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जनजाति) और अत्यंत पिछड़ी जातियों (ईबीसी) निवेशकों के मामले में, पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा सभी श्रेणियों में अतिरिक्त 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया खंड 5.4 देखें।

6.1.12 महिलाओं के मामले में, अलग–अलग असहाय उद्यमी, युद्ध विधवा, एसिड अटैक पीड़ित और तीसरे लिंग उद्यमी, सभी श्रेणियों में अतिरिक्त 2 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा बढ़ाई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया खंड 5.5 देखें।

6.1.13 इस नीति के तहत लाभ लागू मात्रा की क्षय पर या पात्र अवधि के पूरा होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा। कोई भी अप्रयुक्त प्रोत्साहन पात्रता अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धता के अनुसार पात्र निवेशकों को अनुमोदन दिए जाएंगे।

6.1.14 पॉलिसी अवधि के दौरान अपनी क्षमता का विस्तार, विविधता, या आधुनिकीकरण करते हुए किसी भी मौजूदा या नई इकाई को, उनकी वृद्धिशील अनुमोदित परियोजना लागत पर नई इकाइयों के लिए लागू लाभ दिया जाएगा। लाभों का फयदा उठाने के लिए, मौजूदा इकाई की क्षमता (बीआईआईपीपी 2016 में उल्लिखित प्रावधान) का कम से कम 25 प्रतिशत का विस्तार/ आधुनिकीकरण होना चाहिए।

6.1.15 धारा 5 में वर्णित सभी क्षेत्रों (और संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों) को बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

6.1.16 परियोजना के पूरा होने और परिचालन के लिए समय अनुसूची अनुमोदन की तारीख से अधिकतम 24 महीने तक होगी ।

6.1.17 अन्य सब्सिडी/अनुदान/सॉफ्ट लोन और अन्य योजनाओं में लागू होने वाले अन्य लाभ बिहार राज्य में स्थापित कृषि उद्योगों और बुनियादी ढांचे के लिए मान्य होंगे, हालांकि, उक्त नीति के तहत लाभ प्राप्त करने की ऊपरी सीमा निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कैप किया जाएगा :–

क्र०	प्रकार/इंसेंटिव के निवेशक	कैपिंग की श्रेणी
1	व्यक्ति – सामान्य	50 प्रतिशत
2	व्यक्ति – एससी/ एसटी/ ईबीसी	55 प्रतिशत
3	व्यक्ति – महिलाएं, अलग–अलग तरह के व्यक्ति, युद्ध विधवाएं, एसिड अटैक पीड़ित और तीसरे लिंग निवेशक	52 प्रतिशत
4	एफपीसी (किसान निर्माता कंपनियां)	60 प्रतिशत

6.1.18 किसी इकाई के स्वामित्व या प्रबंधन में परिवर्तन की स्थिति में, इस नीति को लागू करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा समय–समय पर और नोडल एजेंसी द्वारा परिभाषित सक्षम प्राधिकारी को इकाई द्वारा सूचित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो संतुलन प्रोत्साहन के लिए एक संशोधित पत्र/पात्रता प्रमाणपत्र इकाई (नए मालिक के नाम पर) को जारी किया जाएगा। पात्रता की अवधि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी और उत्पादन की मूल तिथि से प्रभावी रूप से परिभाषित की जाएगी।

6.1.19 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं/ विभिन्न विकलांग व्यक्तियों/ युद्ध विधवाओं/ एसिड अटैक पीड़ितों/ तृतीय लिंग उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित इकाई के शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी भी बदलाव की स्थिति में, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 5 वर्षों के भीतर, नया शेयर धारकों को एक ही श्रेणी से होना चाहिए। यदि नए शेयरधारक एक ही श्रेणी से नहीं हैं, तो ऐसी इकाइयों को दिए गए प्रोत्साहन की राशि वार्षिक 18% प्रतिवर्ष (जैसा कि BIIPP 2016 में प्रावधानित है) पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इस तरह के प्रोत्साहन प्राप्त करने की तारीख से वसूल की जा सकेगी ।

6.1.20 यदि प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कोई झूठी घोषणा दी जाती है या यदि किसी इकाई के लिए कोई प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो पात्र नहीं था, तो प्रोत्साहन की राशि वार्षिक ब्याज दर के साथ इस तरह के प्रोत्साहन प्राप्त करने की तिथि से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष वसूल की जाएगी। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, राज्य सरकार भूमि राजस्व के बकाए के रूप में ब्याज (बीआईआईपीपी 2016 में प्रावधानित) सहित ऐसी राशि वसूल कर सकती है।

6.1.21 किसी भी परिचालन कारणों के बिना अधिक मात्रा में पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इकाइयों को तोड़ने/ विभाजित करने या विलय करने का कोई भी प्रयास

तथ्यों के गलत विवरण के रूप में माना जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय दंडात्मक कार्रवाई को बाध्य करेगा (जैसा कि बीआईपीपी 2016 में प्रावधानित किया गया)।

6.1.22 उद्योगों/ क्षेत्रों की नकारात्मक सूची इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी, उन्हें अनुसूची–XII में बताई गई हैं। ये उद्योग/ क्षेत्र इस नीति के तहत किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

6.1.23 कृषि उत्पादन आयुक्त/ विकास आयुक्त, बिहार सरकार द्वारा व्याख्या/ विवाद के सभी मामलों का निर्णय लिया जाएगा। ऐसी व्याख्या/ निर्णय अंतिम होगा। विवाद के सभी मामलों का निर्णय कृषि उत्पादन आयुक्त/विकास आयुक्त द्वारा लिया जायेगा और वह अंतिम होगा।

6.2 इस नीति के तहत सहायता

नीति का उद्देश्य व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त समर्थन (बीआईआईपीपी, 2016 में निहित के अलावा) के माध्यम से राज्य में कृषि व्यवसाय इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देना है और साथ ही बिहार में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सक्षम वातावरण बनाना है।

6.2.1 पूंजीगत अनुदान

क) निम्नलिखित विवरणों के अनुसार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए व्यक्तिगत/ एफपीसी निवेशकों को पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी:–

अनुदान/समर्थन	क्वांटम	समर्थन का उद्देश्य
परियोजना लागत के लिए पूंजीगत सब्सिडी (भूमि मूल्य, भूमि विकास, संयंत्र और मशीनरी, कारखाना निर्माण, सिविल निर्माण, विविध निश्चित परिसंपत्तियां) – व्यक्तिगत निवेशकों के लिए क्रेडिट लिंक्ड	(i) **भागीदारी फर्म एलएलपी, कंपनियां – परियोजना लागत का 15 प्रतिशत** (परियोजना लागत – न्यूनतम 0.25 करोड़ रुपये और अधिकतम 5 करोड़ रुपये) पहली किस्त – 50 प्रतिशत (संयंत्र और मशीनरी की खरीद और स्थापना के बाद) दूसरी किस्त – 50 प्रतिशत (इकाई/ परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत के बाद) (ii) **किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) के लिए –25 प्रतिशत** परियोजना लागत (परियोजना लागत – न्यूनतम 0.25 करोड़ रुपये और अधिकतम 5 करोड़ रुपये)। पहली किस्त – 50 प्रतिशत (संयंत्र और मशीनरी की खरीद और स्थापना के बाद) दूसरी किस्त – 50 प्रतिशत (इकाई/ परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन के शुरू होने के बाद)	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए स्थापना / विस्तार और विविधीकरण / आधुनिकीकरण

ख) पूंजीगत सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड होगी और परिभाषित लक्ष्यों की उपलब्धि पर पात्र प्रमोटरों को जारी की जाएगी। उक्त सब्सिडी की गणना कुल परियोजना लागत के योग्य निश्चित पूंजी निवेश (FCI) के खिलाफ की जाएगी। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए योग्य FCI के घटकों में निम्नलिखित घटक शामिल होंगेः–

क्र०	फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट जिसके खिलाफ सब्सिडी/ अनुदान की गणना की जाएगी *
1	भूमि का मूल्य (जमीन का पंजीकृत मूल्यय पट्टे की भूमि के मामले में, परियोजना लागत से बाहर रखा जाना और परिचालन लागत में शामिल किया जा सकता है)
2	भूमि विकास
3	संयंत्र और मशीनरी (आयातित मशीनरी सहित)
4	फैक्टरी भवन
5	सिविल निर्माण
6	विविध फिक्स्ड एसेट्स (एमएफए) (केवल वे जो उत्पादन लाइन से जुड़े हुए हैं जैसे डीजी सेट, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पैकेजिंग यूनिट, बार कोडिंग, आदि)

*उपर्युक्त घटक सब्सिडी/ अनुदान की गणना के लिए आधार होंगे, हालांकि इस नीति के विरुद्ध आवेदन, बैंक, डीपीआर, सीए के प्रमाण पत्र, आदि से मूल्यांकन नोट में परियोजना लागत के घटकों की पूरी सूची शामिल होगी।

ग) अयोग्य घटक

a) सिविल निर्माण के तहत निम्नलिखित मदों को परियोजना के लिए सब्सिडी की गणना के लिए अयोग्य माना जाएगा (सूची केवल सूचक और ध्यान देने योग्य है):

सिविल कार्य के तहतः–

योग्य वस्तुएं	अयोग्य वस्तुएं
1. प्लांट शेड/ प्लांट हॉल	1. यौगिक दीवार
2. कच्चे माल और तैयार उत्पाद गोदामों	2. इकाई की आंतरिक सड़क
3. मुख्य संयंत्र और मशीनरी की मशीनरी नींव	3. एप्रोच रोड
4. बॉयलरों के लिए नींव	4. प्रशासनिक कार्यालय भवन
5. भूमि विकास कार्य	5. कैंटीन
6. लैब रूम	6. शौचालय
7. सिविल उपचार एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वजाइब्रिज	7. श्रमिकों के लिए लेबर रेस्ट रूम और क्वार्टर
8. उपयोगिताओं से संबंधित सिविल कार्य जैसे ट्रांसफॉर्मर, डीजी सेट, बिजली कनेक्शन, बोरवेल, पानी के टैंक, वेटब्रिज आदि	8. स्वच्छता कक्ष
	9. सुरक्षा/ गार्ड कक्ष या संलग्नक
	10. कच्चे माल और तैयार माल के अलावा अन्य गोदाम/ भंडारण
	11. कंसल्टेंसी शुल्क
	12. अग्निशमन से संबंधित सिविल कार्य

N.B. बिहार सरकार इस सूची को समय–समय पर फिर से जारी करेगी

प्लांट एंड मशीनरी के तहतः–

योग्य वस्तुएं	अयोग्य वस्तुएं
1. मुख्य प्रसंस्करण मशीनरी	1. ईंधन, उपभोग्य सामग्रियों, पुर्जों और दुकानों
2. बॉयलर	2. लैब उपकरण, उपकरण, वेल्डिंग, नट, बोल्ट, आदि।
3. मुख्य संयंत्र और मशीनरी के लिए नियंत्रण कक्ष	3. कंप्यूटर और संबद्ध कार्यालय फर्नीचर
4. Parboiling और सुखाने अनुभाग मशीनरी	4. परिवहन वाहन
5. मशीनरी नींव का काम	5. निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग शुल्क
6. छँटाई / ग्रेडिंग / वाशिंग लाइन	6. हस्तान्तरित मशीनें / पुरानी मशीनें / रिफर्बिश्ड मशीनरी
7. पैकेजिंग मशीनरी	7. सभी प्रकार के सेवा शुल्क, गाड़ी और माल ढुलाई प्रभार
8. मुख्य संयंत्र के लिए दूध प्रसंस्करण, एफ एंड वी प्रसंस्करण इकाइयों में पानी सॉफ्नर	8. मशीनरी की पेंटिंग पर व्यय
9. मुख्य संयंत्र और मशीनरी के लिए सहायक उपकरण / सहायक उपकरण	9. बंद सर्किट टीवी कैमरा और संबंधित उपकरण
10. मुख्य संयंत्र और मशीनरी के लिए इस्पात संरचनाएं	10. आरओ, वाटर फिल्टर, वेटिंग मशीन, फोर्कलिफ्ट आदि।
11. ट्रांसफार्मर, डीजी सेट, बिजली कनेक्शन संबंधित उपकरण	11. अग्निशमन यंत्र
12. विद्युत लाइन, वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए नियंत्रण कक्ष	12. कंसल्टेंसी शुल्क
13. वेटब्रिज और उससे संबंधित मशीनरी	13. स्टेशनरी का सामान
14. ईटीपी संबंधित उपकरण	

N.B. बिहार सरकार इस सूची को समय–समय पर फिर से जारी करेगी

6.2.2 भूमि की उपलब्धता

क) बियाडा कृषि आधारित उद्योगों के लिए समर्पित भूमि बैंकों का निर्माण करेगा जैसा कि धारा 5 में वर्णित है।

6.3 केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वय

6.3.1 **केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वयः** इस नीति के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ प्रोत्साहन देना। भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत प्रवर्तक द्वारा प्राप्त अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है, जिसमें राज्य का हिस्सा है या जो राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ है, इस नीति के

लिए प्रोत्साहन की गणना के लिए अनुमोदित परियोजना लागत राज्य सरकार से प्राप्त प्रोत्साहनों के अनुरूप परियोजना लागत में कटौती करके की जायेगी।

6.3.2 **राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वयः** इस नीति के तहत राज्य सरकार की नीति और योजनाओं के साथ प्रोत्साहन देना। यह बीआईआईपी 2016 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होगा। निवेशकों को भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग अथवा राज्य सरकार या उनकी एजेंसियां से एक ही घटक / उद्देश्य / गतिविधि के लिए पूंजीगत सब्सिडी के लिए प्राप्त या आवेदन नहीं करने पर घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

6.4 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

6.4.1 राज्य में अनुसूचित जातियों (अनु0 जाति), अनुसूचित जनजातियों (अनु0 जनजाति) और अत्यंत पिछड़ी जातियों (ईबीसी) के निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए, उक्त श्रेणियों के उद्यमी इस शर्त के अधीन नीतिगत 5% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते उद्यमी परियोजना में 100% हिस्सेदारी रखेगा।

6.5 महिलाओं, अलग–अलग विकलांग व्यक्तियों, युद्ध विधवाओं, एसिड हमले के पीड़ितों और तीसरे लिंग निवेशकों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज

6.5.1 महिलाओं के बीच कृषि व्यवसाय निवेश को बढ़ावा देने के लिए, अलग–अलग विकलांग व्यक्ति, युद्ध विधवाओं, एसिड अटैक पीड़ितों और तीसरे लिंग निवेशकों, उक्त श्रेणियों के उद्यमी इस शर्त के अधीन नीतिगत 2 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ सकते हैं, बशर्ते उद्यमी परियोजना में 100% हिस्सेदारी रखेगा।

7. संस्थागत समर्थन

7.1 राज्य सरकार कृषि–प्रसंस्करण उद्योगों में बेहतर निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने का प्रयास करेगी। कृषि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अन्य संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ समन्वय में काम करेगा।

7.2 राज्य सरकार कृषि उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देगी, जिसमें राज्य की केंद्रित उत्पाद (धारा 5 में सूचीबद्ध) जैसे प्राकृतिक शहद (और अन्य शहद उत्पाद), मखाना के लिए बाजार की जानकारी एकत्र करने, विपणन और ब्रांड विकास के लिए एक समर्पित मंच स्थापित करना शामिल है।

7.3 राज्य सरकार इच्छुक किसानों और कृषि–प्रसंस्करो के बीच पारदर्शी मूल्य डिस्कवरी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए पहचान की गई उपज (धारा 5 में सूचीबद्ध) के लिए अनुबंध खेती की सुविधा प्रदान करेगी।

7.4 राज्य सरकार राज्य से मखाना सहित कृषि आधारित वस्तुओं के निर्यात को सुगम बनाने के लिए रक्सौल में सीमा शुल्क सेवाएँ कम की संभावना तलाश करेगी।

7.5 राज्य सरकार विभिन्न फसलों के लिए भंडारण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समर्पित योजनाओं का समर्थन करेगी। राज्य सरकार मक्का और अन्य वस्तुओं के लिए फार्मगेट स्तरों पर भंडारण की सुविधा के लिए वैकल्पिक भंडारण मॉडल का पता लगाएगी और बढ़ावा देगी।

7.6 राज्य सरकार किसानों के लिए प्रभावी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए खंड 4 में उल्लिखित सूची सहित विभिन्न उत्पादन के लिए किसान निर्माता कंपनियों (एफपीसी) के गठन को बढ़ावा देगी।

7.7 राज्य सरकार मखाना सहित अधिक फसलों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने और उनके पोषण और ग्लाइसेमिक संकेतकों के आधार पर उत्पादन की ब्रांडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

7.8 राज्य सरकार उच्च उपज वाली किस्मों, कटाई मशीनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित उत्पादन इनपुट हस्तक्षेपों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी।

7.9 राज्य सरकार संभावित जिलों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाए गए नए जल निकायों में मखाना उत्पादन (मछली की खेती के साथ संयोजन में संभव है) को प्राथमिकता देगी।

7.10 राज्य सरकार मौजूदा कौशल समूह को पहचानने , प्रमाणित करने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मखाना पॉपिंग सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल जनशक्ति के लिए आरपीएल (पूर्व सीखने की मान्यता) आधारित कौशल निर्माण कार्यक्रम का पता लगाएगी।

7.11 राज्य सरकार राज्य में मदर प्लांट आधारित डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देगी, उदाहरण के लिए, स्टार्च इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कागज और कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा देना। राज्य सरकार राज्य उपक्रमों और निजी निवेशकों के बीच संयुक्त उद्यम जेवी (JV) के माध्यम से इन इकाइयों की स्थापना का भी पता लगाएगी।

7.12 बिहार राज्य में मक्का आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कार्य बल का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

7.13 राज्य सरकार राज्य में एनएबीएल मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए अन्वेषण करेगी। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से चलाया जाएगा।

7.14 किसानों को खेत से लेकर प्रौद्योगिकी (कारखाने) तक उपज की गुणवत्ता (धारा 5 में सूचीबद्ध) और उपज के उचित भंडारण में सुधार के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कृषि विज्ञान केंद्र / बामेती / कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किया जाएगा।

7.15 केसीसी कवरेज के तहत किसानों के लिए वित्तीय लिंकेज की सुविधा के लिए राज्य सरकार एसएलबीसी (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) को संवेदनशील बनाएगी। इसके अलावा, SLBC किसानों और उद्यमियों को धारा 5 में केंद्रित क्षेत्रों से संबंधित पर्याप्त वित्तपोषण और बैंक लिंकेज की सुविधा प्रदान करेगा।

8. निवेशक(ओं) / आवेदकों और पात्रता

8.1 निवेशक (आवेदक) / आवेदक

8.1.1 व्यक्तिगत निवेशक / एलएलपी / भागीदारी फर्म / उद्यमी और किसान आधारित पंजीकृत कंपनियां या किसान निर्माता कंपनियां इस नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगी। आम भागीदारों / निदेशकों वाली इकाइयों को एक से अधिक बार इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.1.2 बिहार सरकार ने एससी, एसटी, ईबीसी, महिला, थर्ड जेंडर, दिव्यांग, एसिड अटैक पीड़िता को बीएआईपीपी 2020 के लाभ के लिए अपेक्षित धनराशि देने का निर्णय लिया है। इसलिए, नीति के तहत एससी / एसटी / ईबीसी लाभार्थियों को प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, निर्धारित निधि आवंटन की सीमा तक परियोजनाओं के अनुमोदन में वरीयता दी जाएगी।

8.1.3 निवेशक / आवेदक निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:–

क) पॉलिसी से संबंधित सभी दस्तावेजों और विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपेक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र जमा करें।

9.8 कोई भी निवेशक/ आवेदक जिसने बिहार सरकार की इस नीति के तहत किसी परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की है, पहले परियोजना के संचालन के एक महीने बाद तक उसी नीति के तहत किसी अन्य परियोजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

9.9 अनुलग्नक – XI में मूल्यांकन के लिए मापदंड के अनुसार कम से कम 60 प्रतिशत के कट ऑफ स्कोर को पूरा करने वाले प्रस्तावों को नीतिगत दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के लिए योग्य विषय माना जाएगा। मासिक लक्ष्य के आधार पर प्रस्तावों का चयन मासिक आधार पर किया जाएगा, जब तक कि वार्षिक लक्ष्य के अनुसार परियोजनाओं की संख्या समाप्त नहीं हो जाती। इसके अलावा, प्रस्तावों को कुल अंकों की योग्यता (कुल अंकों के अवरोही क्रम) के क्रम में चुना जाएगा।

10. नीति कार्यान्वयन, निगरानी और शिकायत निवारण

10.1 नीति का कार्यान्वयन

10.1.1 बिहार बागवानी विकास सोसाइटी

क) बिहार बागवानी विकास सोसाइटी (BHDS), कृषि विभाग, बिहार सरकार राज्य में BAIPP 2020 को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी होगी। बीएचडीएस, इस नीति के लिए नोडल एजेंसी के रूप में, बदलती परिस्थितियों में कार्यकारी आदेश के माध्यम से समावेश/ संशोधन/ विलोपन के साथ प्रावधानों और दिशानिर्देशों को संशोधित कर सकता है।

ख) संयुक्त निदेशक (बागवानी)/ उप निदेशक (बागवानी), बीएचडीएस निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, बिहार बागवानी विकास मिशन के निदेशक और पर्यवेक्षण के तहत इस नीति के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

ग) उद्योग विभाग, बिहार सरकार SIPB - I उन अनुमोदित परियोजनाओं की सूची और विवरण (जो इस नीति की धारा 4 में उल्लिखित क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं) को कृषि विभाग/BHDS को बीएआईपीपी 2020 के साथ उनकी पात्रता के आगे के आकलन के लिए अग्रेषित करेगी।

घ) बीएचडीएस योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा करेगा।

ई) बीएचडीएस अधिकारियों/ तकनीकी टीम द्वारा पूर्व और बाद में निरीक्षण भी किया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर भौतिक, वित्तीय और परिचालन प्रगति का पता लगाया जा सके।

10.1.2 परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी)

क) आवेदक निवेशकों को इस नीति के तहत पूंजी सब्सिडी जारी करने पर प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए एक परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी) का गठन किया गया है। पीएमसी का गठन निम्नानुसार होगा:–

क्र०	पद	स्थिति
1	प्रधान सचिव/ सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2	निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार सरकार	सदस्य
3	निदेशक सह मिशन निदेशक, बिहार बागवानी बिकास सोसायटी, बिहार सरकार	सदस्य
4	वित्त विभाग के नामित प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं)	सदस्य

ख) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करें और आवेदन प्रारूप में कार्यान्वयन की निर्धारित अनुसूची के अनुसार परियोजना का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करें।

ग) परियोजना के लिए वित्त और अनुदान की समय पर और विवेकपूर्ण अंत–उपयोग (जैसा कि निर्णय लिया गया) सुनिश्चित करें और समय पर भुगतान और लाभप्रदता सुनिश्चित करें।

घ) पर्यावरणीय मंजूरी सहित वैधानिक अनुमोदन/ मंजूरी प्राप्त करना, जो परियोजना के प्रारंभ और संचालन के लिए आवश्यक हैं।

ङ) वित्तीय समापन प्राप्त करना और निर्दिष्ट समय सीमा में परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना।

च) बुनियादी सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं को सक्षम बनाए रखने के लिए।

छ) परियोजना के कार्यान्वयन के बाद परियोजना के कार्यान्वयन और बुनियादी सुविधाओं और सामान्य सुविधाओं के रखरखाव के उचित खातों को बनाए रखें।

ज) बिहार सरकार – बिहार बागवानी विकास सोसाईटी को परियोजना की समयबद्ध प्रगति की रिपोर्ट करें (साइट की तस्वीरों/तस्वीरों के साथ यथोचित प्रगति रिपोर्ट जमा करें) और आवश्यकतानुसार निगरानी और निरीक्षण की सुविधा प्रदान करें।

झ) चिन्हित वस्तु में मूल्यवर्धन (जैसा कि धारा 5 में वर्णित है) का समर्थन करें और भाग लेने वाले किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ सुनिश्चित करें, जिससे यह एक सम्मानजनक व्यवसाय बन जाए।

ञ) चयनित निवेशक बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, कृषि विभाग, बिहार सरकार के साथ समझौते में हस्ताक्षर किए गए सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

9. पात्रता

9.1 आवेदक के पास एक ठोस वित्तीय पृष्ठभूमि होनी चाहिए। आवेदक का नेट वर्थ मांगी गई अनुदान राशि से कम नहीं होना चाहिए।

9.2 BAIPP 2020 के तहत आवेदन करने से पहले परियोजना को व्यावसायिक उत्पादन में नहीं होना चाहिए।

9.3 सब्सिडी के लिए आवेदन की तारीख संयंत्र और मशीनरी की स्थापना/ निर्माण और कमीशन की तारीख से बाद में नहीं होनी चाहिए।

9.4 इस नीति के तहत बीएचडीएस को प्रस्तुत किए जा रहे परियोजना प्रस्तावों को बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए और सावधि ऋण प्राप्त करना चाहिए। बैंक/ वित्तीय संस्थान से टर्म लोन परियोजना लागत का 20 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

9.5 बैंक/ वित्तीय संस्थान से परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट में सभी परियोजना घटक शामिल होने चाहिए, जिसके लिए पूंजी सब्सिडी मांगी जाती है।

9.6 प्रस्तावित परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख आवेदन जमा करने की तारीख से पहले नहीं होगी।

9.7 परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था आवेदक द्वारा या तो खरीद कर या कम से कम 30 साल के पट्टे पर की जाएगी और इसे प्रस्तावित इकाई के नाम से पंजीकृत होना चाहिए।

560

5	उद्योग विभाग के नामित 5 प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं)	सदस्य
6	नाबार्ड के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
7	एपीडा के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
8	संयुक्त निदेशक (बागवानी)/ उप निदेशक (बागवानी) –सह–नोडल पदाधिकारी, बिहार बागवानी विकास सोसायटी	सदस्य सचिव
9	संबंधित कृषि व्यवसाय क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों को नामित सदस्य (प्रति क्षेत्र अधिकतम दो) के रूप में आमंत्रित किया जाना है।	

ख) निवेशक की परियोजना / इकाई एसआईपीबी चरण प्राप्त करने के बाद – इस नीति के तहत गठित परियोजना निगरानी समिति, आवेदक की पात्रता के आधार पर सब्सिडी की मंजूरी और व्यय का निर्णय नीति की शर्तों के अनुसार लेगी।।

ग) बीएचडीएस इस नीति के तहत निवेशकों की सुविधा के लिए और बीएआईपीपी 2020 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव, सब्सिडी गणना और संवितरण की जांच में पीएमसी और बीएचडीएस के सहयोग के लिए तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) रखेगा।

घ) इस नीति के तहत बीएचडीएस पात्र पूंजी सब्सिडी के दावों के बारे में निवेशकों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा और इस नीति के तहत बीआईआईपीपी 2016 समर्थित क्षेत्रों में निवेशकों को सुविधा प्रदान करेगा।

10.1.3 तकनीकी सहायता समूह

क) परियोजनाओं के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए, BHDS तकनीकी सहायता समूह (TSG) को उक्त योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए रखा जायेगा। टीएसजी के प्रचार गतिविधियों, कार्यालय और यात्रा खर्चों को योजना के अनुदान सहायता के आवंटन से पूरा किया जाएगा।

ख) टीएसजी की निम्नलिखित भूमिका होगी:–

(a) योजना के बारे में संभावित हितधारकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कार्यशालाओं/ मीडिया अभियानों के आयोजन में बीएचडीएस की सहायता करना।

(b) योजना के तहत परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करने में बीएचडीएस की सहायता करना।

(c) वैसे निवेशकों / आवेदकों जो स्टेज– I क्लीयरेंस से पहले आवेदन किया हैं, को एसआईपीबी स्टेज – I क्लीयरेंस की अनुमति प्रदान करने में बीएचडीएस की सहायता करना।

(d) वैसे निवेशकों जिनको एसआईपीबी स्टेज – I मे मंजूरी दे दी, को बीए–आईपीपी 2020 के तहत आवेदन और सहयोग करने के लिए संवेदी बनाना।

(e) परियोजनाओं के लिए प्रस्तुत तकनीकी–व्यवहार्यता रिपोर्ट और डीपीआर के मूल्यांकन/ मूल्यांकन के माध्यम से परियोजनाओं के चयन में बीएचडीएस की

सहायता करना। डीपीआर के मूल्यांकन में वित्तीय व्यवहार्यता और परियोजनाओं के स्वामित्व और प्रबंधन संरचना की सतता शामिल होगी।

(f) परियोजनाओं/ डीपीआर में किसी भी संशोधन के मूल्यांकन में सहायता करना।

(g) परियोजना के लिए विभिन्न प्राधिकरणों से वित्तीय समापन और आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता करना।

(h) योजना के तहत अनुदान जारी करने में बीएचडीएस की सहायता करना।

(i) समय–समय पर बीएचडीएस को परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट करना।

(j) मासिक आधार पर परियोजनाओं के डेटाबेस को बनाए रखने और अद्यतन करने के लिए कार्य करना।

10.2 नीति की निगरानी और शिकायत निवारण

10.2.1 नीति के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और बीएआईपीपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी सुविधा और कार्यप्रणाली में संशोधन आवश्यक रूप से किए जाएंगे। पीएमसी टीएसजी के सहयोग के साथ स्वीकृत परियोजनाओं / इकाइयों के कार्यान्वयन और निगरानी तथा शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करेगा।

10.2.2 एग्रीबिजनेस इन्वेस्टर फैसिलिटेशन डेस्क 'बीएचडीएस में स्थापित किया जाएगा ताकि संबंधित अधिकारियों से आवेदन/ मंजूरी के विभिन्न चरणों में निवेशकों को हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जा सके और सरकार के प्रयास के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क करना निहित होगा।

10.2.3 इस नीति के संबंध में शिकायत निवारण, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के दायरे में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बीएचडीएस वेब–आधारित इंटरैक्शन तंत्र विकसित करेगा, जहाँ सुझावों और शिकायतों को कृषि उत्पादन आयुक्त/ विकास आयुक्त, बिहार सरकार को सीधे निवेदन किया जा सकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त (APC), कृषि विभाग/ विकास आयुक्त, बिहार सरकार द्वारा विवेचना / विवाद के सभी मामलों का निर्णय लिया जाएगा।

10.3 सामान्य परिस्थितियां

10.3.1 इस नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तें लागू होंगी:–

यदि प्रोत्साहन लेने के उद्देश्य से कोई गलत घोषणा दी जाती है या यदि ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाया जाता है जो इस नीति के योग्य नहीं थी या किसी भी शर्त का उल्लंघन करती है, तो सालाना 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लाभ की तरह इस पूंजीगत सब्सिडी की राशि लाभ उठाने की तारीख से वसूल की जा सकती है। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, राज्य सरकार भूमि राजस्व के बकाया के रूप में (या BIIPP 2016 में प्रावधान के अनुसार) ब्याज सहित ऐसी राशि वसूल सकती है।

11. आवेदन जमा करना

11.1 आवेदकों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले के लिए बिहार बागवानी विकास सोसाइटी के निर्धारित प्रारूप (अनुबंध I) में अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्नक–III में दी गई जानकारी/ दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी :–

क) निर्धारित प्रारूप में आवेदन। (अनुसूची–I)।

ख) बैंक प्रमाणित परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जिसमें परियोजना का तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय और प्रबंधन पहलू जिसमें अनुमानित परियोजना लागत, वित्त के प्रस्तावित साधन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या और प्रकार सहित निवेश के प्रस्तावित स्तर शामिल हो,की पूर्ण विवरणी ।

ग) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था से अंतिम अवधि के ऋण की मंजूरी।

घ) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत बैंक/ वित्तीय संस्थान से एक विस्तृत मूल्यांकन नोट।

ङ) आवेदक फर्म के सोसाइटी, को–ऑपरेटिव, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड के कंपनी / बाय कानूनों के मामले में मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन इत्यादि के निगमन / पंजीकरण का प्रमाण पत्र।।

च) परियोजना प्रस्तावक(ओं) का बायो–डेटा/ पृष्ठभूमि/ अनुभव।

छ) आवेदक की नेट–वर्थ और परियोजना के प्रमोटर (प्रस्तावित)/ प्रस्तावित शेयरधारक(ओं) के समर्थन में दस्तावेज।

ज) आवेदक कंपनी/ सहकारी/ भागीदारी आदि के खातों की पिछले तीन सालों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

झ) आवेदक या भूमि के पट्टे के नाम पर सक्षम प्राधिकार से कम से कम 30 साल अवधि के लिए पंजीकृत जमीन के शीर्षक के समर्थन में दस्तावेज। परियोजना के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) के साथ उपयुक्त भूमि के स्वामित्व और कब्जे वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ञ) अनुबंध–II के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/ आवेदक द्वारा अंडरटेकिंग

12. प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और पूंजीगत अनुदान का वितरण

12.1 बीएचडीएस द्वारा गठित पीपीएमसी प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी और पूंजीगत सब्सिडी जारी करने पर मंजूरी प्रदान करेगी। पीएमसी द्वारा आवेदनों के मूल्यांकन का मानदंड अनुबंध– XI में दिया गया है। पूंजीगत सब्सिडी पर विचार करने के लिए पात्र बनने के लिए एक प्रस्ताव को न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होंगे। पीएमसी की मासिक बैठक प्राप्त आवेदनों/ प्रस्तावों की जांच और पूंजीगत सब्सिडी किस्त को मंजूरी देने के लिए आयोजित की जाएगी।

12.2 बीएचडीएस की तकनीकी समिति से सिफारिश के आधार पर और निर्धारित लक्ष्य (अगले भाग में दिए गए अनुसार) पीएमसी पूंजीगत सब्सिडी रिलीज (निर्धारित किस्तों के अनुसार) को और मंजूरी देगी। निवेशकों द्वारा पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के लिए आवेदन करने के बाद परियोजना स्थल का दौरा करने के लिए बीएचडीएस द्वारा उक्त तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तकनीकी समिति में शामिल हैं:–

क्र०	पद
1	संयुक्त निदेशक (बागवानी)/ उप निदेशक (बागवानी)
2	सहायक निदेशक कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी निदेशालय के पद के उन्नयन
3	तकनीकी सहायता समूह (TSG) के सदस्य

तकनीकी समिति साइट का दौरा करेगी और पीएमसी को उचित पूंजीगत किस्त जारी करने की सिफारिश के साथ साइट निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

12.3 आवेदन प्रक्रिया:–

प्री– SIPB स्टेज: SIPB– स्टेज 1 में अनुमोदन से पहले आवेदन/ संपर्क करने वाले आवेदकों को सहायता प्रदान की जाएगी

- BIPP 2016 और BAIPP 2020 की पूरी जानकारी प्रदान करना और इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में
- परियोजना प्रोफाइल तैयार करने में सहायता प्रदान करना और वित्तीय लिंकेज में सहायता
- उत्पाद और प्रौद्योगिकी चयन में सहायता
- परियोजना के लिए आवश्यक वैधानिक मंजूरी के बारे में जागरूकता में सहायता

SIPB अनुमोदन चरण: नई इकाई/ विस्तार/ विविधीकरण/ आधुनिकीकरण के लिए SIPB अनुमोदन की सुविधा

- प्रोजेक्ट प्रोफाइल प्रीप्रेशन (अधिकतम 10 पृष्ठ)
- SIPB स्टेज 1 निकासी के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन swc-bihar-gov-in के माध्यम से करें
- BIIPP–2016 के दिशा–निर्देशों के अनुसार आवेदन की जांच की जानी चाहिए
- उद्योग विभाग के मानदंडों के अनुसार एसआईपीबी चरण 1 मंजूरी या अस्वीकृति प्राप्त करने की परियोजना
- परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के लिए एसआईपीबी की मंजूरी के बाद वित्तीय समापन का उपार्जन करना

BIIPP 2016 के तहत स्टेज 1 निकासी के लिए दस्तावेजों की चेकलिस्ट

- आवेदक का प्राधिकरण

क) निर्धारित प्रारूप में आवेदन। (अनुसूची–I)।

ख) बैंक प्रमाणित परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जिसमें परियोजना का तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय और प्रबंधन पहलू जिसमें अनुमानित परियोजना लागत, वित्त के प्रस्तावित साधन और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या और प्रकार सहित निवेश के प्रस्तावित स्तर शामिल हो,की पूर्ण विवरणी ।

ग) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत किसी भी बैंक/ वित्तीय संस्था से अंतिम अवधि के ऋण की मंजूरी।

घ) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत बैंक/ वित्तीय संस्थान से एक विस्तृत मूल्यांकन नोट।

ङ) आवेदक फर्म के सोसाइटी, को–ऑपरेटिव, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड के कंपनी / बाय कानूनों के मामले में मेमोरेंडम और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन इत्यादि के निगमन / पंजीकरण का प्रमाण पत्र।।

च) परियोजना प्रस्तावक(ओं) का बायो–डेटा/ पृष्ठभूमि/ अनुभव।

छ) आवेदक की नेट–वर्थ और परियोजना के प्रमोटर (प्रस्तावित)/ प्रस्तावित शेयरधारक(ओं) के समर्थन में दस्तावेज।

ज) आवेदक कंपनी/ सहकारी/ भागीदारी आदि के खातों की पिछले तीन सालों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

झ) आवेदक या भूमि के पट्टे के नाम पर सक्षम प्राधिकार से कम से कम 30 साल अवधि के लिए पंजीकृत जमीन के शीर्षक के समर्थन में दस्तावेज। परियोजना के लिए चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) के साथ उपयुक्त भूमि के स्वामित्व और कब्जे वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ञ) अनुबंध–II के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/ आवेदक द्वारा अंडरटेकिंग

12. प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और पूंजीगत अनुदान का वितरण

12.1 बीएचडीएस द्वारा गठित पीपीएमसी प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी और पूंजीगत सब्सिडी जारी करने पर मंजूरी प्रदान करेगी। पीएमसी द्वारा आवेदनों के मूल्यांकन का मानदंड अनुबंध– XI में दिया गया है। पूंजीगत सब्सिडी पर विचार करने के लिए पात्र बनने के लिए एक प्रस्ताव को न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होंगे। पीएमसी की मासिक बैठक प्राप्त आवेदनों/ प्रस्तावों की जांच और पूंजीगत सब्सिडी किस्त को मंजूरी देने के लिए आयोजित की जाएगी।

12.2 बीएचडीएस की तकनीकी समिति से सिफारिश के आधार पर और निर्धारित लक्ष्य (अगले भाग में दिए गए अनुसार) पीएमसी पूंजीगत सब्सिडी रिलीज (निर्धारित किस्तों के अनुसार) को और मंजूरी देगी। निवेशकों द्वारा पूंजीगत सब्सिडी जारी करने के लिए आवेदन करने के बाद परियोजना स्थल का दौरा करने के लिए बीएचडीएस द्वारा उक्त तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तकनीकी समिति में शामिल हैं:–

क्र०	पद
1	संयुक्त निदेशक (बागवानी)/ उप निदेशक (बागवानी)
2	सहायक निदेशक कृषि इंजीनियरिंग, बागवानी निदेशालय के पद के उन्नयन
3	तकनीकी सहायता समूह (TSG) के सदस्य

तकनीकी समिति साइट का दौरा करेगी और पीएमसी को उचित पूंजीगत किस्त जारी करने की सिफारिश के साथ साइट निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

- निगमन के प्रकार का प्रमाण*
- फर्म/ निदेशक/ प्रोपराइटर का पैन कार्ड*
- यूनिट उपयोगकर्ता का आधार कार्ड*
- फर्म / उपक्रम के नवीनतम नेट–वर्थ स्टेटमेंट
- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटो पहचान प्रमाण*
- अधिकृत हस्ताक्षर का स्थायी पता प्रमाण
- सभी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ प्रोपराइटर के लिए वर्तमान पता प्रमाण
- निगमन का प्रमाणपत्र (कंपनी के मामले में)
- MoA और AoA (कंपनी के मामले में)
- उपनियमों / डीड (सहकारी /समितियों/ ट्रस्ट/ साझेदारी डीड के मामले में)
- संगठन का पैन कार्ड*
- संगठन के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता) (मौजूदा फर्मों के लिए पिछले 3 वर्षों के लिए और नई फर्मों के लिए नवीनतम (यदि उपलब्ध हो))
- संगठन का आईटी रिटर्न (मौजूदा फर्मों के लिए पिछले 3 वर्षों से और नई फर्मों के लिए नवीनतम (यदि उपलब्ध हो))
- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए संगठन की पावर ऑफ अटॉर्नी/ शपथ पत्र/ बोर्ड संकल्प (प्रोपराइटरशिप फर्मों के लिए नहीं)*
- प्रोजेक्ट प्रोफाइल (अधिकतम 10 पृष्ठ)*
- भूमि दस्तावेज (यदि उपलब्ध हो)

* अनिवार्य दस्तावेज

एसआईपीबी चरण 1 के अनुमोदन और बैंक से सावधि ऋण की मंजूरी के बाद फर्म बीएआईपीपी –2020 नीति के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होगी।

एसआईपीबी और बीएआईपीपी के उपरांत प्रकिया: बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत अनुमोदन प्रक्रिया

चरण	विवरण	समय
चरण 1	एसआईपीबी अनुमोदन के बाद और बैंक से वित्तीय संकलन उपरांत बीएचडीएस को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन	• प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर बीएचडीएस में आवेदन का मूल्यांकन और उसी पर परियोजना प्रस्तावक के लिए एक अद्यतन वस्तु–स्थिति • बीएचडीएस द्वारा उठाए गए आपत्तिओं को दूर करने के लिए आवेदक को एक महीने (अधिकतम) में दस्तावेजों के साथ उन्नयन/ संशोधित आवेदन प्रस्तुत करना। यह आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने का अंतिम रूप

		माना जाएगा। • दस्तावेजों के संशोधित और पूर्ण सेट के 15 दिनों के भीतर आवेदन का अंतिम मूल्यांकन।
चरण 2	योग्यता और अनुमोदन के लिए परियोजना निगरानी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने योग्य अंकों के साथ परियोजनाएं	• परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण आवेदन के जमा करने की अंतिम तारीख से 45 दिनों के भीतर।
चरण 3	परियोजना अनुमोदन पत्र के माध्यम से पीएमसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को सूचित किया जाना	• पीएमसी द्वारा अनुमोदन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर

बीएआईपीपी 2020 के तहत अनुमोदन के लिए दस्तावेजों की चेकलिस्ट

- अनुसूची – I* में निर्धारित प्रारूप के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन प्रारूप
- बीआईपीपी 2016 के तहत एसआईपीबी– I में अनुमति I*
- आवेदक फर्म का निगमन / पंजीकरण प्रमाण पत्र, एफपीसी / सहकारिता, पंजीकृत समूह, आदि के उपनियम कानूनों के मामले में ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम।*
- परियोजना आवेदक का बायो–डेटा/ पृष्ठभूमि/ अनुभव।*
- सहकारी / भागीदारी / किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) आदि के आवेदक के खातों की पिछले दो वर्षों का वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।*
- आवेदक या भूमि के पट्टे के नाम पर सक्षम प्राधिकार से कम से कम 30 साल के लिए विधिवत पंजीकृत अवधि परियोजना के लिए जमीन के शीर्षक के समर्थन में स्व–सत्यापित अंग्रेजी/ हिंदी संस्करण दस्तावेज।
- परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकरण से उक्त भूमि के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति I*
- ऋण देने वाले बैंक/ वित्तीय संस्था से प्रमाण पत्र कि आवेदन के ईओआई जारी करने की तारीख या बैंक प्रमाण पत्र की तारीख, जो भी बाद में हो कि सुविधा जारी करने की तारीख के रूप में वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया है I*
- अनुसूची II के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला उपक्रम पत्र।*
- किसानों के साथ समझौता ज्ञापन/ समझौता। (यदि अनिवार्य नहीं है तो हम छूट सकते हैं)
- आवेदक के पैन/ जीएसटीआईएन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति।*
- तकनीकी सिविल कार्यों का मदवार और लागतवार विवरण।
- पीएंडएम के निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं की सूची (उद्धरण कोट करें)।

- कैचमेंट क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता – एक वर्ष में पर्याप्त मात्रा, कच्चे माल की वाइडर मिक्स, संचालन के दिन जैसे सहायक डेटा के प्रामाणिक स्रोत के साथ विवरण प्रदान करें। (सहायक दस्तावेज यदि कोई राज्य सरकार/ एनएचबी/ आदि)*
- 'बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परियोजना को "स्थापित करने के लिए सहमति" ।*
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भूजल की निकासी के लिए एनओसी।*
- संबंधित प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित भवन योजना का ब्लू प्रिंट।*
- बिहार राज्य पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से बिजली कनेक्शन की स्वीकृति और अनुमोदन *
- किसी भी सरकारी एजेंसी के साथ मौजूदा पंजीकरण / संघ के बारे में लिखित साक्ष्य।*
- आवेदन से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में निदेशकों / भागीदारों में से एक को अधिकृत करने से संबंधित बोर्ड के निदेशक / प्रमोटरों (जैसा कि लागू हो) से बोर्ड के संकल्प / प्रमाण पत्र की प्रति

* अनिवार्य दस्तावेज

सब्सिडी दावा (प्रथम किस्त) का चरण : आवेदन, स्वीकृति और पहली किस्त जारी करना

चरण	विवरण	समय
चरण 1	संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के बाद **बीएआईपीपी 2020** के तहत पहली किस्त जारी करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ "सब्सिडी का दावा प्रपत्र" प्रस्तुत करना	• परियोजना के लक्ष्य और विकास के अनुसार
चरण 2	टीएसजी द्वारा दस्तावेजों का मूल्यांकन	• प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर बीएचडीएस में आवेदन का मूल्यांकन और उसी पर परियोजना प्रस्तावक को अद्यतन स्थिति की जानकारी • बीएचडीएस द्वारा उठाए गए आपत्तिओं को दूर करने के लिए आवेदक को एक महीने (अधिकतम) में दस्तावेजों के साथ उन्नयन/ संशोधित आवेदन प्रस्तुत करना। यह आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने का अंतिम रूप माना जाएगा। • दस्तावेजों के संशोधित और पूर्ण सेट प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर आवेदन का अंतिम मूल्यांकन।
चरण 3	नामित टीम द्वारा यूनिट का साइट	• परियोजना निरीक्षणकर्ता के पूर्ण

	निरीक्षण	"सब्सिडी दावा प्रपत्र" के प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 30 दिनों के भीतर।
चरण 4	अनुमोदन के लिए पीएमसी की सिफारिश के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना	• साइट निरीक्षण की तारीख से एक सप्ताह के भीतर।
चरण 5	यदि पीएमसी द्वारा अनुमोदित सिफारिश, अनुदान जारी किया जाएगा	• पीएमसी अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर

पहली किस्त जारी करने के लिए दस्तावेजों की जाँच

- विधिवत नोटरी जमानत बॉन्ड – लाभार्थी कंपनी द्वारा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 1000/– रुपये से कम नहीं जारी किया जाना है।
- बैंक प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि उन्होंने 50% सावधि ऋण जारी किया है और राज्य द्वारा प्रदान की जा रही अनुदान की पहली किस्त जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र और स्व अभिप्रमाणित– परियोजना के घटकों पर किए गए वास्तविक व्यय और वित्तपोषक और 50% या उससे अधिक उपयोग के साधन प्रवर्तकों के योगदान और शर्त ।
- तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) का प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता है कि परियोजना स्थल (अनुबंध जी) रंगीन फोटोग्राफ (दिनांक टिकटों के साथ) संलग्न कर अवयव वार प्रगति, लागत, मात्रा, निर्माता/ आपूर्तिकर्ता और गुणवत्ता पर टिप्पणी को इंगित करता हो ।
- संयंत्र और मशीनरी के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) का प्रमाण पत्र जो परियोजना स्थल (अनुबंध एच) के रंगीन फोटोग्राफ (तिथि टिकटों के साथ) कर अवयव वार प्रगति, लागत, मात्रा, निर्माता/ आपूर्तिकर्ता और की गुणवत्ता टिप्पणी का संकेत देता है ।
- बैंक के लेटरहेड पर संगठन के लिए बैंक सब्सिडी आरक्षित निधि खाते का विवरण
- परियोजना की भौतिक प्रगति का पता लगाने के लिए टीम द्वारा साइट निरीक्षण रिपोर्ट
- कोई भी अन्य शर्त जो समय–समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है
- अनुदान सहायता के अनुमोदन पत्र में लगाए गए शर्तों का अनुपालन, यदि कोई हो तो ।

सब्सिडी दावा (दूसरी किस्त) का चरण : आवेदन, अनुमोदन और दूसरी किस्त जारी करना

चरण	विवरण	समय
चरण 1	आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद **बीएआईपीपी** 2020 के तहत दूसरी किस्त जारी करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ	–

चरण 2	टीएसजी द्वारा दस्तावेजों का मूल्यांकन	• प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर बीएचडीएस में आवेदन का मूल्यांकन और उसी पर परियोजना प्रस्तावक को अद्यतन स्थिति की जानकारी • बीएचडीएस द्वारा उठाए गए आपत्तिओं को दूर करने के लिए आवेदक को एक महीने (अधिकतम) में दस्तावेजों के साथ उन्नयन/ संशोधित आवेदन प्रस्तुत करना। यह आवेदक द्वारा आवेदन जमा करने का अंतिम रूप माना जाएगा। • दस्तावेजों के संशोधित और पूर्ण सेट प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर आवेदन का अंतिम मूल्यांकन।
चरण 3	नामित टीम द्वारा यूनिट का साइट निरीक्षण	• परियोजना निरीक्षणकर्ता के पूर्ण "सब्सिडी दावा प्रपत्र" के प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 30 दिनों के भीतर।
चरण 4	पीएमसी की सिफारिश के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करना	• साइट निरीक्षण की तारीख से एक सप्ताह के भीतर।
चरण 5	यदि पीएमसी द्वारा अनुमोदित सिफारिश, अनुदान जारी किया जाएगा	• पीएमसी अनुमोदन के 30 दिनों के भीतर

दूसरी किस्त जारी करने के लिए दस्तावेजों की जाँच

- अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने के लिए आवेदक से अनुरोध पत्र
- सी०ए० और बैंक और लाभार्थी कंपनी के प्रमोटर द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र – xxx के अनुसार
- स्व–सत्यापित चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र – वित्त के साधन और प्रमोटरों के योगदान का 100% उपयोग, सावधि ऋण का 100% और जारी अनुदान की पहली किस्त दिखाते हुए परियोजना पर वास्तविक व्यय
- बैंक प्रमाणपत्र – यह प्रमाणित करते हुए कि उन्होंने 100% सावधि ऋण और राज्य द्वारा अनुदान की पहली किस्त जारी की है। उन्हें राज्य द्वारा जारी की जा रही अनुदान की दूसरी किस्त पर कोई आपत्ति नहीं है
- तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) का प्रमाण पत्र जो यह दर्शाता है कि परियोजना स्थल का रंगीन फोटोग्राफ (दिनांक टिकटों के साथ) संलग्न कर अवयव वार प्रगति, लागत, मात्रा, निर्माता/ आपूर्तिकर्ता और गुणवत्ता पर टिप्पणी को इंगित करता हो ।
- संयंत्र और मशीनरी के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) का प्रमाण पत्र, परियोजना स्थल की रंगीन तस्वीरों (तिथि टिकटों के साथ) संलग्न कर प्रगति, लागत गुणवत्ता, निर्माता/ आपूर्तिकर्ता और गुणवत्ता टिप्पणी पर टिप्पणी को इंगित करता हो ।

- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन – पर –सहमति
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का प्रमाणपत्र (फीड इकाइयों के लिए आवश्यक नहीं)
- फैक्टरी निरीक्षक से प्रमाण पत्र (फैक्टरी लाइसेंस)
- श्रम निरीक्षक का प्रमाण पत्र (लेबर लाइसेंस)
- बॉयलर के निरीक्षक से प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- कोई भी अन्य शर्त जो समय–समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है
- यदि कोई हो तो अनुदान सहायता के अनुमोदन पत्र में लगाए गए शर्तों का अनुपालन

13. पूंजीगत सब्सिडी भुगतान

पूँजी सब्सिडी का निस्तार नीचे वर्णित दो किस्तों में किया जाएगाः–

किस्त	राशि	शर्तें	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
पहली	स्वीकृत पूंजीगत सब्सिडी का 50 प्रतिशत	निवेशकों के 50 प्रतिशत योगदान और 50 प्रतिशत टर्म लोन के खर्च तथा संयंत्र और मशीनरी की खरीद और स्थापना के बाद ।	• जैसा कि उपबंध 11.1 में उल्लेख किया गया है • निवेशक द्वारा श्योरिटी बॉन्ड (अनुसूची–VIII) को गैर–न्यायिक स्टांप पेपर पर जो कि रु० 1000 से कम का नहीं हो, बोर्ड के संकल्प/ प्रमाण पत्र के साथ तथा नोटरि से प्रमाणित हो एवं दो स्वतंत्र गवाहों (आवेदक के प्रमोटरों के अलावा) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। आवेदकों के निदेशक मंडल/ प्रमोटरों (जैसा कि लागू हो) दस्तावेजों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में निदेशकों/ भागीदारों में से एक को अधिकृत करता हो। • निवेशक के योगदान के 50% के उपयोग का प्रमाण पत्र (अनुसूची – IX) जो कि निवेशक द्वारा हस्ताक्षरित और सीए द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो । • प्रतिभूति–रहित ऋण का विवरण (उधारदाताओं के पैन नंबर के साथ) या ब्रिज लोन, यदि कोई हो, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित और निवेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (अनुसूची – V)। • स्वीकृत घटकों, लागत, मात्रा,

			निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं पर अवयव वार प्रगति से संबंधित तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) से प्रमाणपत्र (अनुसूची –VI) जिसमें गुणवत्ता और कार्यान्वयन की स्थिति पर टिप्पणी हो तथा यह प्रमाण पत्र निवेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो । • स्वीकृत घटकों, लागत, मात्रा, निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं पर चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) से संयंत्र और मशीनरी के लिए प्रमाण पत्र (अनुसूची – VII) जिसमें गुणवत्ता और कार्यान्वयन की स्थिति पर टिप्पणी हो और निवेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो । • संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थान से प्रमाण पत्र (जो कि परियोजना के लिए टर्म लोन स्वीकृत तथा संवितरित कर रहा हो) जिसमें कुल स्वीकृत टर्म लोन के 50 प्रतिशत के संवितरण को तथा संवितरित राशि का घटकों पर उपयोग होना प्रमाणित करता हो, साथ ही वरणित करता हो की बिहार सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के 50 प्रतिशत के संवितरण के लिए उसे कोई आपत्ति नहीं है (अनुसूची – IV)। • बीएचडीएस की तकनीकी टीम की स्थल (Site) निरीक्षण रिपोर्ट किस्त के दिये जाने की अनुशंसा के साथ । • कोई भी अन्य शर्त जो समय–समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है।
दूसरी	स्वीकृत पूंजीगत सब्सिडी का 50 प्रतिशत	निवेशक के योगदान का 100% और टर्म लोन के 100% के खर्च तथा परियोजना/इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद ।	• निवेशक के योगदान के 100% के उपयोग का प्रमाण पत्र (अनुसूची–IX) जो कि निवेशक द्वारा हस्ताक्षरित और सीए द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो । • सीए द्वारा प्रमाण पत्र जो कि परियोजना के प्रत्येक घटक पर वास्तविक व्यय के लिए 100% टर्म लोन और 100% निवेशक के योगदान

			/ इक्विटी के उपयोग को दर्शाता हो साथ ही यह प्रमाण पत्र निवेशक द्वारा प्रमाणित हो । • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से काम करने के लिए मान्य सहमति, फैक्ट्री लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, एफएसएसएआई प्रमाण पत्र । • स्वीकृत घटकों, लागत, मात्रा, निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं पर अवयव वार प्रगति से संबंधित तकनीकी सिविल कार्यों के लिए चार्टर्ड इंजीनियर (सिविल) से प्रमाणपत्र (अनुसूची–VI) जिसमें गुणवत्ता और कार्यान्वयन की स्थिति पर टिप्पणी हो तथा यह प्रमाण पत्र निवेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो । • स्वीकृत घटकों, लागत, मात्रा, निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं पर चार्टर्ड इंजीनियर (मैकेनिकल) से संयंत्र और मशीनरी के लिए प्रमाण पत्र (अनुसूची– VII) जिसमें गुणवत्ता और कार्यान्वयन की स्थिति पर टिप्पणी हो और निवेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो । • संबंधित बैंक / वित्तीय संस्थान से प्रमाण पत्र (जो कि परियोजना के लिए टर्म लोन स्वीकृत तथा संवितरित कर रहा हो) जिसमें कुल स्वीकृत टर्म लोन के 100 प्रतिशत के संवितरण को तथा संवितरित राशि का घटकों पर उपयोग होना प्रमाणित करता हो, साथ ही वरणित करता हो की बिहार सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी के शेष 50 प्रतिशत के संवितरण के लिए उसे कोई आपत्ति नहीं है (अनुसूची – IV)। • परियोजना के पूरा होने की घोषणा का बैंक प्रमाण पत्र। • वाणिज्यिक उत्पादन (UAM) शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र।

539
548

			• साइट विजिट के बाद बीएचडीएस की तकनीकी टीम की अनुशंसा कि दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तों की पूर्ति की गयी है। • कोई भी अन्य शर्त जो समय–समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है।

14. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय

14.1 परियोजना का पूर्णता और परिचालन अनुमोदन की तिथि से अधिकतम 24 महीने के अन्दर हो जानी चाहिए, हालांकि किस्त जारी होने का समय निर्धारित नहीं होगा और धारा 13 में परिभाषित लक्ष्य के पूर्ण होने पर निर्भर करेगा।

14.2 अनुदान जारी करने के लिए आदर्श अनुसूची निम्नलिखित हो सकती है (हालांकि यह परियोजना की स्थितियों और बीएचडीएस पर्यवेक्षण के आधार पर अलग– अलग परियोजना के लिए भिन्न हो सकती है)

क्र०	विवरण	अधिकतम समय अवधि
1	प्रथम किस्त जारी करने के लिए निवेशक द्वारा आवेदन	**बीएआईपीपी** 2020 के तहत सहायता के लिए आवेदन पर पीएमसी द्वारा अनुमोदन की तिथि से 6 महीने के भीतर
2	दूसरी किस्त जारी करने के लिए निवेशक द्वारा आवेदन	पहली किस्त के जारी होने से 12 महीने

14.3 निवेशक आवेदन में वर्णित समयसीमा के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध होगे। निवेशक पर निर्धारित समय सीमा का पालन न करने की स्थिति में, अप्रत्याशित घटना अथवा निवेशक के नियंत्रण से परे कारण संबंधित मामले को छोड़कर, जुर्माना लगाया जा सकता है।

14.4 निवेशक द्वारा परियोजना को क्रियान्वयन से पीछे हटने और किसी भी कारण से परियोजना के पूरा न होने की स्थिति में निवेशक को जारी की गई सब्सिडी राशि ब्याज सहित (बीएफआर के अनुसार) बीएचडीएस को इस तरह के अनुदान की वापसी के लिए आदेश सूचना के 30 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

14.5 यह दिशा निर्देश अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद है। इन दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

15. अनुसूचियाँ

अनुसूची – I

बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीती, 2020 के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का विवरण

क्रम सं	अवयव		विवरण
I	व्यक्तिगत निवेशक / उद्यमी / किसान निर्माता कंपनी का नाम		
II	संपर्क विवरण	पता टेलीफोन और फैक्स नं मोबाइल नं ईमेल आईडी	
III	आवेदक की कानूनी स्थिति (सहकारी, निर्माता कंपनी, सोसायटी, आदि)		
IV	पंजीकरण संख्या / सी0आई0एन(CIN)		
V	पैन(PAN) / टिन (TIN)/ टैन(TAN)		
VI	आधार पंजीकरण संख्या		

2. निदेशक / प्रोमोटर (एस) / पार्टनर (एस) का विवरण

क्रम सं	प्रमोटर / पार्टनर / डायरेक्टर का नाम	पता	टेलीफोन / फैक्स न०/ मोबाइल न०/ ईमेल	आधार पंजीकरण संख्या	पैन न०	शेयरहोल्डिंग पैटर्न	नेट वर्थ

Please add additional rows, if needed.

3. आवेदक का अनुभव खाद्य /कृषि उत्पाद प्रसंस्करण में

क्रम सं	लीड आवेदक इकाई का नाम	अनुभव का विवरण	टर्नओवर का विवरण (वर्ष वार)	सहायक दस्तावेज संलग्न, यदि कोई हो (हां /नही)

4. प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई का प्रोफाइल:

4.1 प्रस्तावित परियोजना का विवरण:

क्रम सं	अवयव	विवरण
i.	परियोजना का नाम	
ii.	उत्पाद /उप उत्पाद	
iii.	परियोजना का स्थान	
iv.	परियोजना की क्षमता	

4.2 प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई के स्थान का विवरण:

क्रम सं	अवयव	विवरण
i.	परियोजना के घटकों का प्रस्तावित स्थान	
ii.	आवश्यक भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	
iii.	कब्जे की स्थिति (स्वामित्व / पट्टे पर)	
iv.	भूमि उपयोग रूपांतरण की स्थिति (CLU)	
v.	पानी और बिजली कनेक्शन का प्रमाण	
vi.	एप्रोच रोड की उपलब्धता का प्रमाण	
vii.	समन्वय विवरण (अक्षांश और देशांतर)	
viii.	इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल	

4.3 प्रसंस्करण और पैकेजिंग परियोजना की प्रस्तावित मुख्य सुविधाएं

क्रम सं	बनाई जाने वाली सुविधाओं का प्रकार (सांकेतिक सूची)	सं	कुल क्षमता (मे० टन, मे० टन/ घंटा, जहां भी लागू हो)	निर्मित क्षेत्र	अनुमानित निवेश	एक वर्ष में प्रत्येक सुविधा के संचालन के दिनों की संख्या
i.	फार्म स्तर पर भंडारण					
ii.	संग्रह केंद्र (CC) / पैक हाउस					
iii.	प्रसंस्करण संरचना					
iv.	मूल्य संवर्धन हेतु बुनियादी ढाँचा					
v.	छँटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा					
vi.	आवागमन बनावट					
vii.	क्रेट, रेक					
viii.	मध्यम/ बड़े पैमाने पर भंडारण बुनियादी ढांचा					
ix.	अन्य (यदि कोई हो)					

5. परियोजना का वित्तीय विवरण और व्यवसाय योजना (Business Plan)

5.1 अनुमानित परियोजना लागत विवरण (अलग–अलग सभी घटकों के ब्रेक–अप के साथ)*

क्रम सं	अवयव	राशि (करोड़ रु)
1	**स्थायी पूंजी निवेश(FCI)**	
1.1	भूमि	
1.2	भूमि विकास	
1.3	संयंत्र और मशीनरी (आयातित मशीनरी सहित)	
1.4	कारखाने की इमारत	
1.5	सिविल निर्माण	
1.5.1	खंड 5.1.2 में उल्लिखित अपात्र घटकों को छोड़कर सिविल निर्माण	
1.5.2	अन्य सिविल निर्माण	
1.6	विविध अचल सम्पत्ति (MFA)	
1.6.1	उत्पादन लाइन के साथ जुड़े विविध फिक्स्ड एसेट्स (MFA)	

1.6.2	अन्य फिक्स्ड एसेट्स	
1.7	प्रारंभिक और पूर्व–संचालक व्यय	
2	कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी	
3	अन्यवस्तुओं का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है	
4	आकस्मिकता	
	कुल	

*(दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत सब्सिडी की गणना केवल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.1, 1.6.1 के अनुरूप की जाएगी)

5.2 वित्त के प्रस्तावित साधन (अलग–अलग सभी घटकों के ब्रेक–अप के साथ)

स्रोत	राशि (लाख रु)
आवेदक का योगदान / इक्विटी	
बैंक ऋण	
BHDS से सब्सिडी	
असुरक्षित ऋण / पुल ऋण(Bridge Loan)	
अन्य (यदि कोई हो)	
कुल	

5.3 मूल राजस्व अनुमान

अवयव	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
प्रत्येक कोर सुविधाओं के संचालन के दिन					
विभिन्न सुविधाओं से राजस्व आय					
टर्नओवर					
संचालन की लागत					
सकल लाभ					
कर–निर्धारण से पहले लाभ					

6. वित्तीय पैरामीटर (बैंक मूल्यांकन नोट के अनुसार):

क्रम सं	अवयव	विवरण (अनुपात /%)	डीपीआर में पेज नं
i.	रिटर्न की आंतरिक दर (आईआरआर) (क) अनुदान के साथ (ख) बिना अनुदान के		
ii.	औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (DSCR)		
iii.	ब्रेक – ईवन बिंदु (BEP)		
iv.	ऋण इक्विटी अनुपात(Debt-Equity-Ratio)		

7. कार्यान्वयन अनुसूची :

क्रम सं	अवयव	कार्यान्वयन की तिथि	समापन की तिथि

8. अन्य जानकारी:

किसानों को उचित और पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमत, के लिए आपूर्ति रचना के लिए प्रस्तावित रणनीति / कार्यप्रणाली	
कैचमेंट क्षेत्र में उपलब्ध कच्चा माल संबंधित डेटा तथा स्रोत का संकेत	
कच्चे माल की मौसमी उपलब्धता आंकड़ों के स्रोत	
नवीन और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग	
प्रस्तावित प्रसंस्करण का अनुमानित टर्नओवर	

9. परियोजना का परिणाम:

8.1 लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या :

8.2 उत्पाद की खरीद और बिक्री मूल्य – (किसान और उपभोक्ता लाभ को इंगित करने के लिए) :

8.3 निर्मित सुविधाओं का क्षमता उपयोग (– प्रति वर्ष एमटी में) :

8.4 रोजगार सृजन के अनुमान

a. प्रत्यक्ष रोजगार (संख्या में) :

b. अप्रत्यक्ष रोजगार (संख्या में) :

10. परियोजना का संचालन करने के लिए सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय / वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विवरण, यदि कोई हो, तो उपयोग किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बिजली उत्पादन का विवरण भी शामिल है।.

हस्ताक्षर

दिनांक: नाम और पदनाम

स्थान: संगठन की मुहर

अनुलग्नक: संलग्न दस्तावेजों की सूची।

533
543

अनुसूची – II

उपक्रम (Under Taking)

मैं ..... (निदेशक/साझेदार/आदि का नाम) पिता श्री ..... . (पिता का नाम) निवासी ..... (आवासीय पता) इसके तहत पूरी तरह से पुष्टि और घोषित करता/ वचन देता हूँ।

1. यह कि मैं मेसर्स..... (आवेदक का नाम) का निदेशक/ भागीदार हूँ, जिसका पंजीकरण सं० ..... और पंजीकृत कार्यालय .... (आवेदक के कार्यालय का पता)।

2. मैं इसके तहत आवेदन करने और मैं स्वयं प्राधिकृत/ प्रबंधन के संकल्प सं० ..... दिनांक .... के तहत विधिवत अधिकृत हूँ और सभी आवश्यक दस्तावेजों की हस्ताक्षरित प्रति सहित देयता की ओर से इस उपक्रम ..... (स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी (LLP), कंपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सहित) का नाम ..... और सर्वेक्षण/ प्लॉट नंबर ..... , ग्राम ....., तहसील ....., जिला ..... राज्य ....., पिन कोड .... (मुख्य सुविधा का स्थान) ..... के लिए ..... (परियोजना द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ) पर परियोजना की स्थापना से संबंधित तथ्यों से पूरी तरह अवगत हूँ और बिहार बागवानी विकास सोसाइटी के तहत बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के लिए आवेदन किया जा रहा है।

3. यह कि बिहार सरकार की उपरोक्त योजना की अवधि और शर्तें जिसके तहत आवेदक द्वारा एक आवेदन किया जाता है, मेरे द्वारा ठीक से पढ़ा और समझा गया है और मैं पुष्टि करता हूं कि परियोजना/ प्रस्ताव अनुमोदन के सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन करता है पत्र और प्रावधान योजना के दिशा निर्देशों में निहित हैं।

4. परियोजना/ प्रस्ताव द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियाँ बिहार सरकार की उपरोक्त योजना के अंतर्गत आती हैं और वर्तमान में या निकट भविष्य में आवेदन में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने के लिए योजना का कोई भी हिस्सा तैयार नहीं किया गया है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... (आवेदक का नाम) उसी परियोजना, घटक, उद्देश्य या गतिविधि के लिए भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या बिहार सरकार या उनकी एजेंसियों/ संगठनों से पूँजीगत अनुदान के लिए प्राप्त या आवेदन नहीं किया गया है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने स्वयं ही अतीत में बिहा र सरकार बिहार या बागवानी विकास सोसाइटी की किसी भी योजना के तहत किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता का लाभ नहीं लिया है (यदि लाभ उठाया गया है, तो विवरण अलग से प्रस्तुत किया जाएगा) ।

7. मैं यह भी पूरी तरह से पुष्टि/ वचन देता हूं कि आवेदन में प्रस्तावित परियोजना घटक एक पूरी तरह से नई गतिविधि है और पहले से मौजूद गतिविधि या उसके घटक नहीं है।

8. इस संबंध में किसी भी तथ्य को छिपाने के मामले में बीएचडीएस, बिहार सरकार के पास किसी भी स्तर पर मेरे आवेदन/ परियोजना को अस्वीकार/ रद्द करने का अधिकार होगा।

9. मैं अनुदान की कम स्वीकार्यता या अनुदान में भविष्य में कमी या परियोजना की लागत में किसी भी वृद्धि के कारण वित्त के साधनों में किसी कमी को पूरा करूंगा।

10. मैं अनुदान–सहायता के अनुमोदन प्राधिकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई है, के अलावा अन्य कार्यों के लिए पूरी तरह से या सरकारी अनुदान से ऋणग्रस्त या अतिक्रमण या उन संपत्तियों का उपयोग नहीं करूगा।

11. परियोजना के कार्यान्वयन में देरी/ विलंबित कार्यान्वयन के मामले में बिहार सरकार को दी गई स्वीकृति को रद्द करने और समय–समय पर संशोधित बीएफआर के अनुसार ब्याज के साथ जारी किए गए अनुदान, यदि कोई हो, को भी वापस` का पूर्ण अधिकार होगा।

12. मैं पूरी तरह से समझता हूं कि योजना के तहत सब्सिडी परिभाषित भुगतान मानदंडों के अनुसार जारी की जाएगी और इसलिए परियोजना को सभी समयावधि में नियत समय अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर परियोजना समाप्त हो जाएगी और अब तक जारी अनुदान समय–समय पर संशोधित बीएफआर के अनुसार ब्याज के साथ वापस कर दूगा ।

13. मैं, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद कम से कम तीन वर्षों के लिए परियोजना को संचालित करने में विफलता के कारण, समय–समय पर संशोधित बीएफआर के अनुसार ब्याज के साथ संपूर्ण अनुदान सहायता वापस करूंगा।

14. परियोजना के तहत बनाई गई सुविधाओं के उपयोगकर्ता शुल्क/ किराए की दर सार्वजनिक को परियोजना/ संगठन की वेबसाइट पर अपलोड करने सहित प्रचारित किया जाएगा। उसी की एक प्रति बीएचडीएस को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

15. मैं यह भी मानता हूं कि आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही हैं और पात्रता शर्तों के संबंध में डीपीआर, आदि मेरे ज्ञान और विश्वास के लिए सही और कुछ भी सामग्री को छुपाया नहीं गया है।

दिनांक:.....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:.....

532
541

अनुसूची – III

आवेदन में शामिल की जाने वाली सूचनाओं की सूची

1. आवेदक निवेशक/ संगठन का प्रोफाइल

1.1 प्रस्तावित प्रमोटरों के नाम और संक्षिप्त प्रोफाइल उनके संपर्क विवरण के साथ।

1.2 प्रमोटरों के मौजूदा कार्यों (**Opreations**)के संचालन की प्रकृति और स्थान को इंगित करें।

1.3 पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष की ऑडिट की हुई बैलेंस शीट या चार्टर्ड अकाउंटेंट (**CA**) के प्रमाणित लेखा–जोखा जो इस अनुबंध के पैरा –4 और 5 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ–साथ प्रमोटरों/ संगठन के प्रत्येक के शुद्ध मूल्य को स्थापित करेंगे। कंपनियों के मामले में, सीए प्रमाणपत्र को उनके वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

1.4 एक संक्षिप्त नोट क्यों प्रमोटर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते है तथा उनका उद्धेश्य आदि।

1.5 कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जो योजना के संदर्भ में प्रवर्तकों/ संगठन की साख और उपयुक्तता स्थापित करेगी।

2. प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा

2.1 कृषि उत्पादन और विपणन योग्य अधिशेष उत्पाद की उपलब्धता साथ ही जल्द खराब होने वाले उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में प्रस्तावित परियोजना/ स्थान के लिए औचित्य।

2.2 कृषि प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र और अपेक्षित भूमि की उपलब्धता।

2.3 बिजली, पानी, एप्रोच रोड आदि सहित बुनियादी सुविधाओं की कनेक्टिविटी और उपलब्धता के संदर्भ में उचित साइट का चयन होना चाहिए।

2.4 निवेशक के पास जमीन उपलब्ध होने की स्थिति में बिक्री विलेख **(Sale Deed)** / लीज डीड (यदि लागू हो तो) के रूप में भूमि के कब्जे का प्रमाण।

2.5 कच्चे माल/ बाजार की उपलब्धता और लक्षित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रकार के संदर्भ में उनके चयन के लिए प्रस्तावित मुख्य प्रसंस्करण सुविधाओं और औचित्य का विवरण।

2.6 समग्र व्यापार योजना के संदर्भ में प्रस्तावित बुनयादि ढ़ांचे का, जिसमें मूल उपयोगिताओं जैसे बिजली, पानी, प्रवाहपूर्ण उपचार भी शामिल हो, साथ–साथ औचित्य की आवश्यकताओं सहित बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के प्रस्तावित का विवरण।

2.7 प्रस्तावित गैर–कोर बुनियादी ढांचे और उनके औचित्य का विवरण

2.8 विभिन्न परियोजना घटकों के लिए उपरोक्त विवरण में विभिन्न सुविधाओं के लिए आवश्यक क्षेत्र, अनुमानित क्षमता और लागत शामिल होनी चाहिए

2.9 अनुमानित मात्रा सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए प्रस्तावित रणनीति/ पद्धति

2.10 परियोजना के सफल निष्पादन के बाद, परियोजना में शामिल प्रस्तावित कृषि प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों का अनुमानित कारोबार

2.11 परियोजना के कार्यान्वयन से अनुमानित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, और परियोजना क्षेत्र में उद्योग और कृषि उपज पर अन्य प्रभाव जैसे कि किसानों की संख्या से लाभान्वित होंगे, कृषि–हॉर्टी उपज की मात्रा को नियंत्रण जाएगा और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों आदि सहित क्लस्टर हर साल

संसाधित किया जाएगा।

2.12 कोई अन्य संबंधित जानकारी।

3. परियोजना वित्तीय और व्यावसायिक योजना

3.1 मार्गदर्शिका में उल्लिखित सरकार द्वारा वित्त पोषण के लिए परियोजना के पात्र घटकों में से प्रत्येक की अनुमानित लागत का सारांश

3.2 परियोजना के वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित साधन: इक्विटी, ऋण आदि

3.3 योजना के अनुसार अनुदान सहायता की राशि,

3.4 परियोजना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संस्थानों/ बैंकों के साथ टाई–अप करें

3.5 प्रस्तावित व्यवसाय योजना–अनुमानित राजस्व स्रोत और धारणाएँ, अनुमानित परिचालन लागत और मान्यताएँ, अनुमानित लाभ और हानि विवरण, बैलेंस शीट और इन मान्यताओं के आधार पर नकदी प्रवाह

3.6 उपरोक्त वित्तीय मान्यताओं के आधार पर प्रमुख वित्तीय सूचक जैसे आईआरआर, डीएससीआर

4. नेट वर्थ के समर्थन में दस्तावेज:

नेट वर्थ की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

(I) प्राइवेट लिमिटेड/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां के संबंध में :

क) नेट वर्थ का गणना कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी और मुनाफे से बाहर बनाए गए रिजर्व के आधार पर लगाया जाएगा ।

ख) केवल भूमि और भवन के संबंध में पुनर्वितरण का रिजर्व शुद्ध मूल्य का पता लगाने के लिए माना जा सकता है, जो सर्कल दर अधिसूचना और भूमि स्वामित्व दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित सर्किल दरों पर आधारित होगा। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को कंपनी के फॉरवर्ड बैलेंस शीट में भी दर्शाया जाएगा।

ग) शेयर आवेदन धन **(Share application Amount)** को नेट वर्थ की गणना के लिए माना जाएगा बशर्ते कि कंपनी अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय के भीतर भुगतान की गई पूंजी **(Paid Up Capital)** में परिवर्तित किया गया हो, लेकिन किसी भी मामले में, इसे बिहार सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले भुगतान की गई पूंजी में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

घ) नेट वर्थ का पता लगाने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित एक नवीनतम अस्थायी बैलेंस शीट विधिवत प्रमाणित की जानी चाहिए।

ङ) प्राईवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कंपनियां के मामले में जहां अपने शुद्ध मूल्य का एक बड़ा हिस्सा गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करती हैं या शून्य या नगण्य आय/ राजस्व वाले विभिन्न दलों को ऋण और अग्रिम के रूप में दिखाया जाता है, तो शुद्ध मूल्य का पता लगाने के लिए आवेदक द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों को जमा पालन करना आवश्यक होगा :–

(i) आवेदक कंपनी द्वारा गैर–सूचीबद्ध कंपनियों में किए गए निवेश का विवरण,

(ii) पिछले वर्ष की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स (AFS) या उन कंपनियों की नवीनतम अनुमानित बैलेंस शीट, जिनमें निवेश किया गया है,

(iii) ऋण और अग्रिम राशि का विवरण कारणों और औचित्य के साथ,

(iv) यदि यह देखा जाता है कि प्रवर्तक कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी योगदान का उपयोग निवेशी कंपनी द्वारा उन परियोजनाओं, जो कार्यान्वयन में हैं, के प्रगति के लिए मूर्त संपत्ति /पूंजीगत कार्य बनाने में किया गया है, तो शेयरों में ऐसे निवेशों को अंकित मूल्य पर माना जाएगा।

(v) हालाँकि, यदि यह देखा जाता है कि प्रवर्तक कंपनी द्वारा निवेश को आगे चलकर असूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश कंपनी द्वारा पुनर्निवेशित किया जाता है या व्यक्तियों/ संबंधित पार्टी/ अन्य कंपनियों और अन्य के लिए दीर्घकालिक/ अल्पकालिक अग्रिम के रूप में दिया गया है और निवेशक कंपनी के पास शून्य/ नगण्य आय/ राजस्व है, तो कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा और ऐसे प्रवर्तक कंपनी के शुद्ध मूल्य को इस तरह के निवेश/ ऋण और अग्रिमों में कटौती के बाद माना जाएगा।

च) नवगठित कंपनियों (लिमिटेड/ प्राइवेट लिमिटेड) के मामले में, व्यक्तिगत प्रमोटर (निदेशक)/ निदेशक(ओं) (शेयरधारकों) के नेट–वर्थ को आवेदक दल के संयुक्त शुद्धमूल्य का आकलन करने के लिए माना जाएगा।

(II) साझेदारी फर्मों/ सहकारी समितियों/ सोसायटी/ एलएलपी आदि के संबंध में।

कंपनियों के अलावा अन्य सभी संस्थाओं के शुद्ध मूल्य का पता व्यक्तिगत प्रोप्राइटर / पार्टनर (एस) के नवीनतम बैलेंस शीट के आधार पर लगाया जाएगा, अर्थात संपत्ति सभी देनदारियों को घटा कर, चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा विधिवत प्रमाणित। परिसंपत्तियों में नकदी, निवेश का वर्तमान मूल्य, भूमि और भवन (सर्कल रेट पर मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा समर्थित, सर्कल रेट अधिसूचना और भूमि स्वामित्व दस्तावेज), बॉन्ड, जीवन बीमा का नकद मूल्य, बचत का वर्तमान कुल शेष, वर्तमान या सावधि जमा खाते शामिल हैं। शुद्ध मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी:

क) शुद्ध–मूल्य व्यक्तिगत साझेदारों और साझेदारी फर्म के शुद्ध– मूल्य का योग होगा (साझेदारी फर्म के भागीदार के पूंजी खाते में निवेश के दोहराव से बचना) और साझेदारी फर्म मे प्रत्येक व्यक्तिगत साझेदार के निवेश।

ख) यदि आवेदक चल रही साझेदारी फर्म है और आवेदक ने ऐसी साझेदारी/ प्रोप्राइटरशिप फर्म की ऑडिटेड बैलेंस शीट जमा की है, तो ऑडिटेड बैलेंस शीट के आधार पर शुद्ध मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। हालाँकि, यदि बैलेंस शीट के अनुसार शुद्ध मूल्य अपर्याप्त है, तो व्यक्तिगत साझेदारों/ निदेशकों की परिसंपत्तियों और देयताओं के सीए प्रमाणित विवरण को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि दिशानिर्देशों के अनुसार प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा संपत्ति का समर्थन किया जाता है।

ग) हालांकि, एक साझेदारी/ स्वामित्व फर्म में, भागीदारों/ प्रोप्राइटरों का दायित्व असीमित है, इसलिए आवेदक को सीए प्रमाणित "निल देयता स्टेटमेंट" या व्यक्तिगत साझेदारों/ प्रोप्राइटरों के "एसेट्स एंड लायबिलिटीज" और इन विवरणों के आधार पर शुद्ध मूल्य का पता लगाने के लिए नेट देनदारियों की कटौती की जाएगी।

(III) उपर्युक्त शुद्ध मूल्य के घटकों को प्रासंगिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है

(IV) गैर–सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को शुद्ध मूल्य के लिए अंकित मूल्य पर माना जाएगा और सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख से पहले 6 महीने की अवधि के लिए शेयर

के औसत बाजार मूल्य के आधार पर माना जाएगा।

(V) नेट, कार, ज्वेलरी, एंटीक, गोल्ड आदि जैसी चीजें नेट वर्थ के लिए नहीं मानी जाएंगी।

(VI) समूह कंपनियों/ संबंधित मामलों/ व्यक्तियों को दिए गए ऋण और अग्रिम को भी शुद्ध मूल्य की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

(VII) प्रस्तावित शेयरधारकों के मामले में, अगर सदस्यों के बीच नेट–वर्थ का क्रॉस होल्डिंग है (उदाहरण के लिए दोनों एक कंपनी के साथ–साथ शेयरधारक जो कंपनी प्रस्तावित शेयरधारक हैं), तो कंपनी के नेट–वर्थ को पूर्ण रूप से माना जाएगा। हालाँकि, किसी व्यक्ति का नेट–वर्जन केवल उस कंपनी में अपनी शेयरहोल्डिंग को छूट देने के बाद माना जाएगा, जो प्रस्तावित शेयरधारक है।

(VIII) आवेदक (ओं) को शुद्ध मूल्य की ओर उनके द्वारा प्रस्तुत की गई संपत्ति के परिधि के विवरण के संबंध में एक स्व–प्रमाणन देना होगा।

5. आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क) अनुसूची – I * में निर्धारित प्रारूप के अनुसार विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन प्रारूप

ख) बीआईआईपीपी 2016 के तहत एसआईपीबी– I स्वीकृति।*

ग) आवेदक फर्म का निगमन/ पंजीकरण का प्रमाण पत्र, एफपीसी के मामले में ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम, सहकारिता उपनियम कानूनों /पंजीकृत समूह, आदि ।*

घ) परियोजना आवेदक का बायो–डाटा/ पृष्ठभूमि/ अनुभव।*

ङ) पिछले दो वर्षों के लिए आवेदक सहकारी/ भागीदारी/ किसान उत्पादक कंपनियों (FPCs) आदि के खातों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।*

च) सक्षम प्राधिकारी से उक्त भूमि के लिए परियोजना के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति ।*

छ) बैंक / वित्तीय संस्था से **वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं हुआ है (Consent to Operate)**प्रमाणपत्र कि आवेदन की तीथि या बैंक प्रमाण पत्र की तीथि के अनुसार, जो भी बाद में हो।*

ज) आवेदक द्वारा अनुसूची II के अनुसार प्रस्तुत किए जाने का उपक्रम।*

झ) आवेदक के पैन/ जीएसटीआईएन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति।*

ञ) तकनीकी सिविल कार्यों का मदवार और लागतवार विवरण।

ट) P&M के निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं की सूची (उद्धरण कोट करें)।

ठ) कैचमेंट एरिया में रॉ मटेरियल की उपलब्धता – एक वर्ष में पर्याप्त मात्रा, वॉईडर मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल, डेज ऑफ ऑपरेशन इन इयरस ऑथेंटिक सोर्स के साथ–साथ सपोर्टिंग डेटा जैसे विवरण प्रदान करें। (सहायक दस्तावेज यदि कोई हो तो राज्य सरकार/ एनएचबी आदि)*

ड) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परियोजना के लिए "स्थापित करने के लिए सहमति"**(Consent to Establish)**।

ढ) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भूजल की निकासी के लिए एनओसी।*

ण) संबंधित प्राधिकरण द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित भवन योजना का ब्लू प्रिंट।*

त) बिहार राज्य पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड से बिजली कनेक्शन की स्वीकृति और अनुमोदन*

थ) किसी भी सरकारी एजेंसी के साथ मौजूदा पंजीकरण/ संघ के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य।*

द) निर्यात लक्ष्यों/ योजनाओं के विवरण से संबंधित दस्तावेज, यदि कोई हो। निर्यात के मामले में, निर्यात की जाने वाली मात्रा/ निर्यात गंतव्य/ निर्यात गंतव्य के वैधानिक मानदंडों का विवरण डीपीआर में प्रदान किया जाना चाहिए।

ध) बोर्ड के निदेशक/ प्रमोटरों से बोर्ड के संकल्प/ प्रमाण पत्र की प्रति (जैसा कि लागू हो) आवेदन से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में निदेशकों/ भागीदारों में से एक को अधिकृत करता है।

* सबमिशन अनिवार्य

537

अनुसूची – IV

(बैंक का लेटर हेड)

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया कि इस बैंक ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 अन्तर्गत सब्सिडी के लिए मैसर्स ..... (संगठन का नाम और पता) की परियोजना को योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया है और रु० लाख (यदि लागू हो) के सावधि ऋण को भी मंजूरी दी है।

2. आगे यह प्रमाणित है कि हमने मेसर्स (संगठन का नाम और पता) के लिए रु० ..... लाख (स्वीकृत ऋण का xx प्रतिशत) जारी किया है।

3. अगर राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जाती है, तो हमें अनुदान के प्रथम किस्त को जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर)
(नाम)
(शाखा प्रबंधक)
(शाखा का IFSC कोड)

अनुसूची – V

(सीए का लेटर हेड)

सीए का प्रमाणपत्र प्रारूप

निम्नलिखित प्रारूप में सीए प्रमाण पत्र (सदस्यता संख्या और सीए का फर्म पंजीकरण संख्या):

(i) परियोजना की लागत: (लाख में रुपये।)

क्रम सं	अवयव	बी.एच.डी.एस. द्वारा पीएसी में अनुमोदित लागत	वास्तविक व्यय के रूप में
1	स्थायी पूंजी निवेश(FCI)		
1.1	भूमि		
1.2	भूमि विकास		
1.3	संयंत्र और मशीनरी (आयातित मशीनरी सहित)		
1.4	कारखाने की इमारत		
1.5	सिविल निर्माण		
1.5.1	खंड 6.1.2 में उल्लिखित अपात्र घटकों को छोड़कर सिविल निर्माण		
1.5.2	अन्य सिविल निर्माण		
1.6	विविध अचल सम्पत्ति		
1.6.1	विविध फिक्स्ड एसेट्स (MFA) उत्पादन लाइन के साथ जुड़े		
1.6.2	अन्य फिक्स्ड एसेट्स		
1.7	प्रारंभिक और पूर्व–संचालक व्यय		
2	कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी		
3	अन्यवस्तुओं का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है		
4	आकस्मिकता		
	कुल		

(ii) वित्त के साधन: (लाख में रुपये)

क्रम सं	अवयव	बीएचडीएस द्वारा स्वीकृत वित्त के साधन	वास्तविक व्यय के रूप में .....
1	निवेशक की इक्विटी		
2	अवधि ऋण (Term Loan)		
3	बीएचडीएस से अनुदान		
4	असुरक्षित ऋण*(Unsecured Loan)		

535

5	अन्य		

* सीए द्वारा ऋणदाताओं के पैन नंबर के साथ–साथ असुरक्षित ऋण का विवरणी,यदि कोई हो, विधिवत प्रमाणित

सीए का हस्ताक्षर और मुहर (कंपनी के मामले में सांविधिक लेखा परीक्षक)

दिनांक

(सीए द्वारा परियोजना से संबंधित खातों, बिलों, चालानों, कार्य आदेशों, बैंक विवरणों आदि की पुस्तकों के सत्यापन के आधार पर प्रमाणित होना चाहिए।)

सीए प्रमाण पत्र के साथ संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य के लिए किए गए भुगतान के विवरण को प्रमाणित करने वाले अनुलग्नक

क्रम सं	पार्टी का नाम	अवयव	वाउचर / बिल नं	वाउचर / बिल की तारीख	मूल लागत (केवल पी एंड एम के लिए)	कर, भाड़ा, अधिष्ठापन, बीमा लागत (पी एंड एम के लिए)	कुल लागत	बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान की तारीख	भुगतान का तरीका

528
534

अनुसूची – VI

तकनीकी सिविल कार्य के लिए प्रारूप पर सीई प्रमाणपत्र (सिविल)

(सीई के पत्रशीर्ष पर)

सीई प्रमाण पत्र (सदस्यता / पंजीकरण संख्या सीई के साथ) निम्नलिखित प्रारूप में:

परियोजना का नाम:

पते के साथ अवस्थिति:

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा साइट विजिट की तारीख:

परियोजना प्रगति: (यदि परियोजना कई लोकेशन पर हैं, तो प्रत्येक लोकेशन के लिए लोकेशन का विवरण नीचे दिये प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

क्रम सं	घटक का नाम	प्रस्तावित / मूल्यांकित क्षेत्र (वर्गमीटर)	प्रस्तावित / मूल्यांकित लागत (लाख रु)	वास्तविक क्षेत्र (वर्गमीटर)	वास्तविक क्षेत्र (वर्गमीटर)	दर / यूनिट (रु / वर्गमीटर)	कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में टिप्पणी	गुणवत्ता, निर्माण मानकों, बाजार दरों पर टिप्पणियां
	कुल							

यह प्रमाणित किया जाता है कि तकनीकी सिविल कार्य में प्रयुक्त सामग्री / घटक नए हैं ।

सी ई की हस्ताक्षर और सील

अनुसूची – VII

प्लांट और मशीनरी के लिए प्रारूप पर सीई प्रमाणपत्र (मैकेनिकल)

(सीई के पत्रशीर्ष पर)

सीई प्रमाण पत्र (सदस्यता / पंजीकरण संख्या सीई के साथ) निम्नलिखित प्रारूप में:

परियोजना का नाम:

पते के साथ अवस्थिति :

चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा साइट विजिट की तारीख:

परियोजना प्रगति: (यदि परियोजना कई लोकेशन पर हैं, तो प्रत्येक लोकेशन के लिए लोकेशन का विवरण नीचे दिये प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

क्रम सं	घटक का नाम	प्रस्तावित / मूल्यांकित मात्रा	प्रस्तावित / एप्लिकेशन लागत (लाख रु)	वास्तविक मात्रा	वास्तविक लागत (लाख रु)		प्रदायक (Supplier) उत्पादक	कार्यान्वयन की स्थिति	गुणवत्ता, विनिर्देशों आदि पर टिप्पणियाँ
					मूल लागत	कर, भाड़ा, अधिष्ठापन, बीमा लागत			
	घटक - 1							जैसे कि: • अदिष्ट (Odered) • साइट पर प्राप्त • स्थापना प्रगति • स्थापित • कमीशन	
	घटक - 2								
	घटक - 3								
	कुल								

यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान प्राप्त करने के लिए सभी संयंत्र और मशीनरी नए हैं ।

सी ई की हस्ताक्षर और सील

प्रमोटर / निवेशक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का सील के साथ प्रतिहस्ताक्षर

527
532

अनुसूची – VIII

जमानत पत्र (Surety Bond)

हम, मेसर्स..... (अधिनियम का नाम) के तहत शामिल/ पंजीकृत एक ...., ... (अधिनियम का नाम) और इसके पंजीकृत कार्यालय .... के तहत पंजीकृत हैं (जिन्हें '' अनुगृहीत'' कहा जाता है) सभी को जानते हैं पूरी तरह से और दृढ़ता से बिहार सरकार (जिन्हें ''सरकार'' कहा जाता है) के लिए बाध्य है के लिए रु० . ..... (रुपए ..... केवल) अच्छी तरह से और सही मायने में सरकार को मांग पर और बिना किसी आपत्ति के, जिसके लिए हम दृढ़ता से खुद को और अपने उत्तराधिकारियों और संपत्ति–भागी को इन दावों भुगतान किया जाना चाहिए।

..... के ..... दिन पर हस्ताक्षर किए गए वर्ष दो हजार .... जबकि अनुगृहीत के अनुरोध पर, बिहार सरकार के आदेश क्रमांक ..... दिनांक .. .. के अनुसार सरकार (जिन्हें "स्वीकृति का पत्र" कहा जाता है), जो इन दावों का एक अभिन्न अंग बनाती है, और जिसकी प्रति अनुबंध– I के रूप मे संलग्न है _____ (परियोजना का विवरण) _____ के उद्देश्य से रु _____ (रूपये _____ को केवल) के अनुदान के पक्ष में बनाने के लिए सहमत हुए, जिसमें से _____ (रूपये _____ केवल) का योग है, अनुगृहीत को भुगतान किया गया है (जिसकी प्राप्ति के लिए अनुगृहीत बाध्यता पावती स्वीकार करते हैं)` की शर्तों पर एक नियम और तरीके में एक बंधन को क्रियान्वित करने के बाद जो कि अनुगृहीत करने के लिए सहमत हुए हैं।

अब उपर्युक्त लिखित बाध्यता की शर्तें ऐसी हैं कि यदि अनुमोदन के पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों का विधिवत पालन और अनुपालन हो जाता है, तो उपर्युक्त लिखित बॉन्ड या बाध्यता निरर्थक हो जाएगी और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अन्यथा, यह पूरी प्रभाव और गुण में रहेगा। अनुगृहीत यदि अनुदान सहायता के लिए लक्ष्य की तारीखों कोई निर्दिष्ट सीमा है तो नियम और शर्तों का पालन करेगा।

यह कि अनुगृहीत अनुदान–में–सहायता स्थानांतरित नहीं करेंगे और न योजना या किसी अन्य संस्थान (नों) या संगठन (नों) से संबंधित कार्य का निष्पादन करेंगे।

इस समझौते में उल्लिखित किन्हीं अन्य शर्तों का पालन अनुगृहीत करेगा और शर्तों का पालन करने में विफल रहने या बांड के उल्लंघन के लिए, अनुगृहीत व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से बिहार सरकार, को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की ब्याज के साथ अनुदान सहायता की राशि, यदि अनुदान का एक हिस्सा उस अवधि की समाप्ति के बाद छोड़ दिया गया जिसमें वह खर्च किया जाना आवश्यक है, तो ब्याज/ 10 प्रतिशत प्रति जब तक इसे ले जाने पर सहमति न हो, तब तक सरकार को इसकी वापसी की तारीख तक शुल्क दिया जाएगा।

यह कि अनुगृहीत सरकार को इस तरह के सभी अजीब या अन्य लाभों के मौद्रिक मूल्य को आत्मसमर्पण करने / भुगतान करने के लिए सहमत करती है जो इसे प्राप्त या प्राप्त कर सकते हैं या बिहार सरकार, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी या संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा स्वीकृत अनुदान से बड़े पैमाने पर निर्मित / अधिग्रहित इमारतो का अनधिकृत उपयोग के माध्यम से प्राप्त या प्राप्त कर सकते हैं

(जैसे कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए परिसर को पर्याप्त रूप से बाहर करने देना या समुचित प्रतिफल या परिसर के उपयोग से कम, जिसके लिए संपत्ति में अनुदान सहायता का उद्देश्य था)। जैसा कि मौद्रिक मूल्य सरकार को आत्मसमर्पण/ भुगतान करने के लिए उपर्युक्त है, सरकार का निर्णय अंतिम होगा और अनुगृहीत पर बाध्यकारी होगा।

और ये प्रस्तुतियां यह भी गवाह हैं कि बिहार सरकार के सचिव, कृषि विभाग का निर्णय, इस प्रश्न पर कि क्या अनुमोदन पत्र में उल्लिखित किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन हुआ है, अनुगृहीत पर अंतिम और बाध्यकारी होगा और

गवाह के रूप में, इन आदेशों को उस दिन के अनुसार क्रियान्वित किया गया है, जिस दिन उपर्युक्त संकल्प संख्या ..... दिनांक ..... के अनुसरण में लिखा गया है, जो अनुगृहीत के शासी निकाय द्वारा पारित किया गया है, जिसकी एक प्रति को अनुलग्नक– II के रूप में संलग्न किया गया है और ..... द्वारा और राष्ट्रपति की ओर से नीचे दिखाई देने वाली तारीख के लिए:–

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए
(बड़े अक्षरों में अनुगृहीत का नाम)
(संगठन का (सील/ मुहर))

1. गवाह का हस्ताक्षर
   नाम और पता

2. गवाह का हस्ताक्षर
   नाम और पता

526
531

अनुसूची – IX

निर्गत अनुदान सहायता के व्यय / उपयोग को दर्शाने वाला वक्तव्य

प्रमाणित है कि बिहार बागवानी विकास सोसाइटी, बिहार सरकार द्वारा_____ के पक्ष में स्वीकृत पूँजीगत अनुदान की पहली / दूसरी किस्त जो कि रु० _____ है, का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी।

सील के साथ निवेशक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक _____

प्रतिहस्ताक्षरित सीए पंजीकरण संख्या के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की गणना

530

अनुसूची – X

नेट मूल्य प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री ..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री/ श्रीमती ..... निवासी ..... पैन नं० ..... और आधार नं० ..... तथा जन्म तिथि ..... का दिए गए गणना के अनुसार .....नेटवर्थ पर ..... लाख (..... लाख रुपए मात्र) :

नेट वर्थ की संगणना

रूपये लाख में

क्र०			विवरणी	सूची	सकल योग	कुल योग
I			संपत्ति			
	A		फिक्स्ड एसेट्स (कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्तियां)	A		
	B		अन्य संपत्तियां			
		a	विभिन्न बाहर के शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्य (लगभग) कंपनियों और परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान	B		
		b	म्यूचुअल फंड में निवेश	C		
		c	बचत/ निवेश (बैंक/ डाकघर जमा, बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय पेंशन योजना, पीपीएफ, आदि) (बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम मूल्य का भुगतान)	D		
		d	व्यक्तिगत ज्वेलरी (लागत पर)	E		
		e	निजी वाहन (लागत पर)	F		
		f	अन्य संपत्ति (निर्दिष्ट करें)			
I			**कुल संपत्ति (A + B)**			

रूपये लाख में

525
529

क्र०	विवरणी	सूची	सकल योग	कुल योग
II	**देयताएँ**			
A	बैंक से उधार			
B	अन्य स्रोतों से ऋण असुरक्षित ऋण			
C	अन्य देनदारियाँ (निर्दिष्ट करें)			
II	**कुल देयताएँ**			
III	**नेट–वर्थ (I - II)**			

IV गारंटी (व्यक्तिगत) निर्गत

क्र०	गारंटी डीड के साथ निष्पादित / निर्गत	के पक्ष में जारी की गई गारंटी	ऋण लेने का उद्देश्य	ऋण की राशि (रु० लाख में)	गारंटी निष्पादन / निर्गत तिथि
	कुल				

V. समायोजित वास्तविक नेट वर्थ [I - (II + IV)] (रूपये लाख में):

यह प्रमाणित किया जाता है कि की गई जानकारी के अनुसार मेरे रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के आधार पर नेट वर्थ की गणना मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और मेरी संतुष्टि के लिए प्रदान की गई जानकारी के अनुसार सही है।

उपर्युक्त सभी सूचियाँ इस प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।

चार्टर्ड एकाउंटेंट के लिए

मुहर

स्थान:

528

दिनांकः

मालिक / साझेदार का सदस्यता संख्या

524
527

सम्पत्ति एवं दायित्वों की सूची ए (भू–सम्पदा/कृषि भूमि के अलावा अन्य भूमि)

क्र०	संपत्ति की प्रकृति (वाणिज्यिक भूखंड/ वाणिज्यिक भवन/ आवासीय भूखंड/ गैर–कृषि भूमि/ अपार्टमेंट/ स्वतंत्र घर, आदि)	क्षेत्र (एकड़, वर्ग मीटर)	स्थान और पता	इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले 30 दिनों की अवधि के भीतर सरकार द्वारा घोषित सर्किल रेट के अनुसार मूल्य लाख रू०	इस संपत्ति पर देयता, यदि कोई हो,

सूची बी (विभिन्न बाहरी कंपनियों और परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों/ फर्मों, आदि के शेयरों और प्रतिभूतियों में निवेश)

क्र०	कम्पनी/ फर्म	शेयरों/बांडों की संख्या	प्रतिशत शेयरधारिता यदि 10 प्रतिशत से कम है	वर्तमान मूल्य (इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले)
	सूचीबद्ध कम्पनियाँ			
	असूचीबद्ध कम्पनियाँ			
	पारिवारिक स्वामित्व वाला व्यवसाय/ फर्म			

- असूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का मूल्य लागत पर प्रतिपूर्ति करना
- सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के मूल्य को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तारीख के अनुसार बाजार मूल्य पर दिया जाएगा

सूची सी (म्युचुअल फंड में निवेश)

क्र०	म्यूचुअल फंड/ फर्म के एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम	निधि/ योजना का नाम	आयोजित इकाइयों/ शेयरों/ बांडों की संख्या	इकाई/ शेयर/ बांड का वर्तमान बाजार मूल्य (इस दस्तावेज के हस्ताक्षर की तारीख के अनुसार)

सूची डी (बचत/ निवेश जैसे बैंक डाकघर जमा, बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय पेंशन योजना, पीपीएफ, आदि)

क्र०	बचत/ निवेश की प्रकृति	वर्तमान मूल्य (इस दस्तावेज के हस्ताक्षर की तारीख के अनुसार)

सूची ई व्यक्तिगत गहने (लागत पर)

सोने के गहने गोल्ड बुलियन सिल्वर डायमंड, आदि	कुल वजन	लागत मूल्य

523
525

सूची एफ व्यक्तिगत वाहन (लागत पर)

वाहन के प्रकार, ब्रांड, निर्माण	क्रय की तिथि	लागत मूल्य

सूची जी बैंको से ऋण

बैंक, शाखा, IFSC कोड	उद्देश्य (शिक्षा, आवास, वाहन, व्यवसाय, आदि)	ऋण राशि की स्वीकृति	ऋण चुकाने की अवधि	इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की तिथि के अनुसार बकाया राशि

अनुसूची – XI

दिशा–निर्देशों में निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रथम दृष्टया योग्य पाए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगाः (एक प्रस्ताव को पूंजीगत सब्सिडी पर विचार करने के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होंगे)

क्र०	मानदंड	अधिकतम अंक	संदर्भ दस्तावेजों की समीक्षा की जानी है
A	**भूमि**	**40**	
A1	उपयुक्त भूमि का कब्जा	20	भू–धारिता प्रमाण पत्र
a)	लाभार्थी के नाम पर जमीन का पूरा शीर्षक और कब्जा	20	सीएलयू और भूमि स्वामित्व दस्तावेज
b)	लाभार्थी के किसी भी निदेशक/ साझेदार के नाम पर जमीन का पूरा अधिकार और दखल	10	भूमि स्वामित्व दस्तावेज (परियोजनाएं इस शर्त के साथ की जा सकती हैं कि पहली किस्त जारी होने से पहले सीएलयू अनिवार्य किया जाना चाहिए)
A2	भूमि का स्थान	20	
a)	ऑल–वेदर अप्रोच रोड और पानी और बिजली कनेक्शन (एसएच/ एनएच/ फ्रेट कॉरिडोर के अलावा अन्य) के प्रमाण के साथ भूमि	20	कंपनी/ फर्म के लेटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षरित लोकेशन प्लान
b)	उपलब्ध सड़क के साथ मुख्य संपर्क मार्ग पर उपलब्ध भूमि (राज्य/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ भाड़ा गलियारों)	15	
B	परियोजना व्यवहार्यता	15	
B1	परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता	10	
a)	आईआरआर (17–20 प्रतिशत)	5	बैंक मूल्यांकन नोट
b)	डीएससीआर (1–3)	5	बैंक मूल्यांकन नोट
B2	नौकरी सृजन	5	मस्टर रोल/ ईपीएफओ चालान
a)	प्रत्यक्ष रोजगार (15 से अधिक)	5	ईपीएफओ चालान
b)	प्रत्यक्ष रोजगार (15 से कम)	3	ईपीएफओ चालान
C	योग्य परियोजना लागत पर निवेश	10	योग्य परियोजना लागत पर निवेश
a)	4 करोड़ रु० से अधिक	10	डीपीआर/ परियोजना घटक

क्र०	मानदंड	अधिकतम अंक	संदर्भ दस्तावेजों की समीक्षा की जानी है
b)	2 करोड़ रु० से 4 करोड़ रु०	08	
c)	1 करोड़ से 2 करोड रु० के बीच	07	
d)	0.25 करोड़ से 1 करोड़ रु० के बीच	06	
D	निवेशक का विवरण	25	
D1	निवेशक का नेट–वर्थ	15	ऑडिटेड बैलेंस शीट
a)	प्रस्तावित इक्विटी का 2 गुना से अधिक	15	
b)	प्रस्तावित इक्विटी का 1.5 से 2 गुना	12	
c)	प्रस्तावित इक्विटी का 1 गुना तक	8	
D2	खाद्य प्रसंस्करण, कृषि या संबद्ध क्षेत्र में अनुभव	10	मौजूदा संचालन/ एफ०एस०एस०ए० आई० लाइसेंस की बैलेंस शीट
a)	खाद्य प्रसंस्करण या फल और सब्जियों, कृषि या संबद्ध क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय का अनुभव रखने वाले प्रमोटर या अगर प्रमोटर किसान है, तो	10	
b)	खाद्य प्रसंस्करण / कृषि या संबद्ध क्षेत्र में शिक्षा तथापि अन्य क्षेत्र का अनुभव	07	
c)	कृषि या संबद्ध या खाद्य प्रसंस्करण में कोई पूर्व अनुभव नहीं	05	
E	विशेष सामर्थ्य	10	
a)	कार्बन फुटप्रिंट, ऊर्जा दक्षता, फास्ट–ट्रैकिंग और स्वचालित संचालन/ प्रणालियों के संचालन/ अनुकूलन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना	10	सहायक दस्तावेज
b)	मुख्य प्रसंस्करण सुविधाओं और उत्पादन क्षेत्र में प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए (खराब होने वाली उपज का)प्रसंस्करण के संरक्षण और प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर केंद्रित	7	सहायक दस्तावेजों/ डीपीआर/ बैंक मूल्यांकन

* खाद्य प्रसंस्करण के अनुभव का दावा करने वाले प्रमोटर का वार्षिक कारोबार पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्ष का होगा।

अनुसूची – XII

इस नीति के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं औद्योगिक गतिविधियों / उद्यमों की सूची ।

(समय–समय पर संशोधन के अधीन)

- सभी प्रकार के ब्रिवेरीज और डिस्टिलिरीज।
- बिना ठंड प्रक्रिया के मसाला बनाने, पीसने का पाउडर, मिर्च, हल्दी, मसाला, मसाले, करी, सांबर, पापड़ इत्यादि के पाउडर, जिनमें एफएसएसएआई प्रमाणीकरण को छोड़कर है।
- स्वीटमेट और नमकीन स्नैक्स, मिश्रण, भुजिया तैयार करना।
- मिनरल वाटर और वातित शीतल पेय, मादक पेय।
- पॉपकॉर्न, आइस ब्लॉक, आइस कैंडी और आइस फलों का उत्पादन आदि।
- रॉ–तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों से जुड़ी इकाइयाँ।
- उर्वरक मिक्सिंग इकाइयाँ।